रजिस्ट्री सं० डी० 221 EX--1-1-जपत्र REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 377अ] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 4, 1969/कार्तिक 13, 1891

No. 377A] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 4, 1969/KARTIKA 13, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY

(Department of Foreign Trade)

RESOLUTION

New Delhi, the 4th November, 1969

No. F.9(1)/68-O & M :—The Government of India appointed on May 27, 1965, a study team under the Chairmanship of Shri K. K. Shah, Member of Parliament (now Central Minister for Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development) to examine the organisation, structure, methods of work and procedures of the Office of the Textile Commissioner, particularly with a view to locating the points at which delays occur, where bottlenecks exist and where administrative failures are possible and to suggest measures for improvements so as to eliminate opportunities for corruption.

2. The Study Team submitted Part II of its Report on 2nd March, 1968. Shri K. K. Shah who was the Chairman of the Study Team was appointed Minister in the Union Cabinet with effect from 13th March, 1967. Consequent on this, Part II of the Study Team's Report has not Been signed by him.

3. The recommendations of the Study Team and the decisions of the Government thereon are set out in the Annexure.

4. Government wish to place on record their appreciation of the valuable services rendered by the Study Team.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Decisions of the Government on the recommendations contained in Part II of the Report of the Study Team on the Textile Commissioner's Organisation.

Recommendation No. as given in Chapter VIII, of the Report Summary of conclusions and Recommendations	Chapter No. and Para No. in the Report	Recommendation of the Study Team	Decision of the Government
1	2	3	4
		WOOLLEN INDUSTRY	
1	I 1.14	Considering that the Textile Commissioner is the technical agency responsible for the development of the woollen industry, he should invariably be consulted on each application for industrial licence for creation of capacity. It is also necessary that a representative of the Textile Commissioner attends meetings of the Licensing Committee.	Accepted.
2	I 1.15	If there is licensing of additional capacity in the woollen industry (no expansion of the woollen industry being envisaged during the Fourth Plan) the procedures recommended by the Mathur Study Team on the D.G.T.D. and to the extent they have been accepted by Government, may be followed. The C.L.P. Section of the Ministry of Industry should send direct to the Textile Commissioner a copy of the application for licence and the Textile Commissioner's comments should be incorporated in the brief prepared for the Licensing Committee.	Accepted subject to the modification that in addition to the Textile Commissioner's views the comments of the administrative Ministry would also be made available to the Licensing Committee.

1	2	3	4
3	I 1.16	As licensing of a project necessarily pre-supposes its feasibility, there is no particular merit in giving a licence for creation of capacity on condition that no importation of machinery would be allowed when it is known that the machinery required is not manufactured in the country.	The Licensing Committee may take note of this recommendation.
4	I 1.17	The issue of installation permits in cases covered by licences issued under the Industries (Development & Regulation) Act is wholly unnecessary and should be dispensed with.	Accepted.
5 & 6	I 1.20	So long as there is no restriction on the allocation of additional capacity, permission for installation of machinery under the Woollen Textiles Control Order should be a formality and solely for the purposes of statistical assessment.	Accepted.
		The present policy of allowing additional capacity in the Woolllen Industry in the non-scheduled sector, provided there is no dependence on import of either raw material or machinery, needs continual review as there is likely to be a tendency to clamour for imported raw material after the capacity has been created. There is also the possibility of diversion of scarce imported raw materials to such units.	Accepted.
12	I 1.41	The Study Team would like to recommend a revised scheme which will automatically set a pattern both for production and distribution of yarn to the decentralised sectors. The scheme recommended is as follows :— As soon as a ceiling is placed at the disposal of the Textile Commissioner by the Ministry, the former may estimate the requirements of the shoddy and other sectors of the industry and set apart a portion for them. The balance will be the quantity for meeting the Import needs of the worsted woollen sector. Ten per cent of the quantity may be allotted to the industry as a whole based on the installed	The revised scheme is accepted subject to the modification that the actual percentage for allotment to the industry based on installed capacity as well as percentage allotment to the different sectors will be determined by the Government from time to time. The question of relating of allotment of imported raw material to the spindle capacity given to the rag pullers would be examined. If this is not possible, the rag pullers should be given a notice for a reasonable period after which allotments made to them based on their pulling capacity should be discontinued.

1	2	3	4
		capacity. Allocations need be made only to worsted spindles and not to woollen spindles regardless of the fact whether such spindles did or did not have past consumption of imported raw material. Rag pullers need not be given any separate allocation of raw materials as spinners may be expected to utilise the services of these for the preparation of tops. The balance should be distributed in such a way as to ensure reasonable supply of yarn to meet the requirements of the different sectors viz. weaving, hosiery and handknitting. The present pattern of distribution ensures supply yarn to the various sectors in the following proportion : Weaving . 55 percent. Hosiery . 27 ,, Handknitting . 18 ,,	
		As against the above, the proportion in which yarn should be distributed to the three sectors may be 60 per cent for weaving, 25 per cent for hosiery and 15 for handknitting. A slight reduction in the supply of yarn to the hosiery and handknitting sectors has been suggested having regard to the reduction in the total number of units which will become eligible for such allocation and to the increased availability of comb worthy Indian wool.	
		The quantity of raw material that is earmarked for production of weaving yarn may be distributed to handlooms and powerlooms (both in the organised sector and in the decentralised sector) in the following manner :	
I		*Handlooms*	
1.42		The present level of allocation to handlooms may be maintained in future. The quantity earmarked for each Director of Industries may be intimated to him. On receipt of allocation letters, the Director of Industries may nominate one or more spinners for getting the raw material spun into yarn. Licences may be issued in favour of the mills so nominated. The mills may deliver the yarn either to the Directors of Industries or to the designated handloom units.	Accepted subject to the changes brought about by the canalisation of import through the S.T.C.

1	2	3	4
	I	*Powerlooms*	
	1.42	The balance of raw material that becomes available to the weaving sector should be distributed to powerlooms in the organised sector and to those in the decentralised sector directly on a *pro-rata* basis, with no special weightage being given to looms in the organised sector. The units in the decentralised sector may be required to nominate a spinner of their choice to whom tan AU licence may be issued on the explicit condition that the yarn produced out of the raw material will belong to the nominating units and, as such, should be delivered to them immediately after production.	Accepted subject to changes brought about by canalisation of imports through the S.T.C.
		Hosiery.	
	I	The quantity of raw material to be made available to the hosiery sector having been decided, the eligibility of individual units should be worked out on the basis of installed capacity. Allocation should be restricted to units which had a consumption during a basic period the basic period being common to all the units. As suggested by the Venkateswaran Committee, regardless, of the basic consumption a minimum allocation for each unit may be fixed having regard to the overall availability. Similarly, there may also be a ceiling fixed on the maximum allocation that a unit may receive regardless of its consumption in the basic period. The other norms suggested by the Venkateswaran Committee may also be kept in view.	Not accepted in view of the difficulties in estimating on a realistic basis installed capacity as there are no statutory controls on the installation of hosiery machines. The present scheme of distribution will continue. No change will be made in the present system of basic period as there is little to be gained by change and it may only disturb unnecessarily a scheme which has settled down.
	I	*Processors of grey hand knitting yarn*	
	1.42	Units which do not undertake processing of yarn themselves ought not to be eligible for allocation of imported raw material. As in respect of the hosiery sector, the earmarked raw material for production of knitting yarn may be allocated to individual units on the following basis :	Not accepted in view of the same difficulties as in the case of hosiery sector. The present pattern of allotment will continue. A maximum and minimum quota is not considered necessary as no subsistence minimum is necessary in this sector, since the processors do not have this as their only

1	2	3	4
		(*a*) installed capacity. (*b*) basic consumption. Maximum and minimum quotas may also be fixed. Processors of knitting yarn may also nominate spinners.	activity and there is no large capital investment involved.
	I 1.42	The Textile Commissioner may bulk the several nominations (i.e. from Directors of Industries for handlooms, powerlooms, hosiery and processors of knitting yarn) received in favour of each of the spinners and issue A.U. licence for the total quantity.	Accepted subject to the changes brought about by canalisation of imports through the .S.T.C.
		The Textile Commissioner may also prescribe the maximum per spindle allocation which a spinner may receive with a view to ensuring that all spinners get a reasonable share of the business of converting the raw material into yarn.	Accepted.
		In respect of allocation to hosiery and processors of knitting yarn, should the respective State Administrations be willing to undertake the business of allocating the raw materials to individual units and nominate spinners, there should be no objection to entrusting the work to them accordingly.	Accepted subject to changes brought about by canalisation of imports through the S.T.C.
13, 14 & 15	I 1.52	Controls on prices of weaving, hosiery and handknitting yarn as well as hosiery goods (all produced out of imported raw material) fixed under the Woollen Textiles (Production and Distribution Control) Order have not been enforced nor has the price control benefited the ultimate consumer. The scheme should therefore be given up.	Accepted.
		At the same time, the consumer should not/exposed to the mercy of the producers. Government should reserve the right to procure a sizeable percentage of the production of the fabrics and hosiery goods manufactured both in the organised mill sector and decentralised sector for distribution at fair prices. Also, Government should not hesitate to procure the entire knitting yarn produced by mills and hand processors for	Accepted

1	2	3	4
		distribution through co-operatives. Existence and availability of woollen fabrics, knitted goods and yarn at reasonable prices in the co-operative stores will act as a dumper on the tendency of the private trade sector to push up prices to abnormal levels.	
	I 1.52	The Textile Commissioner's assistance may be taken by the appropriate agencies for the procurement of fabrics, yarn, etc. meant for distribution through the chain of co-operative stores.	Accepted.
		ART SILK INDUSTRY	
17	II 2.10	Having regard to the advice given by the D.G.T.D. that integrated planning and development are needed for the proper growth of the man-made fibre industry, the Study Team does not suggest that the work relating to the man-made fibre industry should be transferred to the Textile Commissioner. The Study Team, however, recommends that there should be greater association of the Textile Commissioner in the licensing and development of the man-made fibre industry. Consultations between the Textile Commissioner and the DGTD on all aspects of the development of the man-made fibre industry should be an accepted practice.	Accepted. The Textile Commissioner should be consulted in regard to applications for Industrial Licences for setting up units for manufacture of man-made fibres. Textile Commissioner or his nominee should also sit on the Licensing Committee which considers the applications. The Te tile ommissioner should also be consulted in regard to fixing of targets and capacity, selection of fibres to be manufactured, price-strucure and other matters which have a bearing on the overall development of the man-made textile industry.
	18, 19II 2.10	There is, however, need for overall coordination in the manufacture of various fibres, if supply of adequate cloth to a growing population has to be ensured. The Study Team, therefore, recommends that the work relating to licensing and development of the non-cellulosic synthetic fibre industry should be restored to the Ministry of Commerce. The Ministry of petroleum and Chemicals can continue to play a very usefull role in the licensing and development of the man-made fibre industry. It should actively be associated in the consideration of applications for licensing of the man-made fibre manufac-	The need for closer coordination is accepted. The Department of Foreign Trade and the Textile Commissioner should be associared more closely with the formulation of policies at all stages in the development of synthetic fibre industry. Some consultation and exchange of views is at present taking place through the forum of the Development Council for man-made Fibre's set up under the industries (Development and Regulation) Act. To achieve closer coordination, a "Committee on Man-made Fibre" will be set up by the Department of Foreign Trade, with members drawn from the Deptt. of Foreign Trade, Department

1	2	3	4
		turing units and also in providing adequate raw materials to the industry.	of Chemicals, Textile Commissioner, and the D.G.T.D. The Committee should meet once in 3 months or more frequently and act as a standing forum for full consultation among all the Departments concerned with the development of the industry. The suggestion that the work relating to licensing and development of the non-cellulosic synthetic fibre industry should be restored to the Department of Forieng Trade is under consideration.
20	II 2.11	The definition of "Artsilk" under the Artsilk (roduction & Distribution) Control Order should be enlarged to include various man-made fibres and the title of the order may suitably be amended to the Man-made Fibre & Yarn Pro-(Production & Distribution) Control Order.	The title of the Art Silk (Production and distribution) Control Order will be amended in consultation with the Deptt. of Chemicals who will suggest a better expression than "Man-made fibre & Yarn" to cover the whole range of new fibres and textiles involved.
21	II 2.20	As the recommendation to do away with the system of fixation of printing quotas for mills has been accepted by Government, the control of Printing machines under the Textiles (Production by Hand-knitting, Embroidery, Lace-making and Printing Machines) Control Order should be done away with. As, however, the Textile Commissioner should have information about independent processors undertaking printing, a system of registration may be introduced for statistical assessment.	Accepted.
22	II 2.21	Suitable provisions for registraton of machines employed on printing on cotton and non-cotton fabrics may be made in the Cotton Textiles Control Order and the proposed Man-made Fibre & Yarn (Production & Distribution) Control Order respectively.	Accepted.
23	II 2.27	Consumption of synthetic yarn on high speed warpknitting machines beng very high, there is need to regulate installation of warp-knitting, raschel and lace-making machines until indegenous production of synthetic yarn is adequate to meet the demand.	Accepted.

1	2	3	4
24	II 2.28	It is desirable that a time limit is prescribed for registration of existing machines under the Textiles (Production by Handknitting, Embroidery Lace-making and Printing Machines) Control Order.	Accepted.
25	II 2.28	A reviewing committee may be set up to verify the authenticity of the documents furnished aong with applications to install warp-knitting raschel and lace-making machines. The functions of this committee may be analogous to the Reviewing Committee of the Licensing Committee.	Accepted. The Committee will set up by the Textile Commissioner.
		CONTROLS ON POWERLOOMS	
26	III 3.12 & 3.13	Although Government did not consider it necessary to take any decisions on the recommendations made by the Study Team relating to powerlooms in Part I of its report on the ground that decisions on matters covered by these recommendations have been taken after considering the report of the Powerloom Enquiry Committee, the Study Team reiterates that any measure of regulation that may be necessary to ensure the orderly growth of powerlooms and the manner of its implementation should be left to the discretion of State Governments. The Textile Commissioner's functions should be limited to setting guidelines and general principles for the integrated development of the industry within the over-all targets fixed in the plans. Government's proposals to delegate further powers to State Governments in regard to issue of permits for transfer of powerlooms by way of sale, lease, dissolution of partnership, etc. as well as for shifting of powerlooms within the States are in the right direction. The remaining regulations on the control and installation of powerlooms, now exercised by the Textile Commissioner should also be delegated to the State Governments.	Accepted.

1	2	3	4
27 and 28	III 3.14	The Study Team believes that any measure of liberalisation extended to the organised units to diversify their production would automatically be extended to units in the decentralised sector.	Accepted.
		In the event powerlooms in the decentralised sector are allowed to use any type of yarn, the present classification of powerlooms as cotton/non-cotton (mostly being filament type of yarn) would require modification.	Accepted.
		IMPORT OF SPARES	
31	IV 4.6	Routing of applications through the sponsoring authorities would have justification only if item-wise scrutiny is exercised. As the main criterion for granting of fresh licences is the utilisation of the previous set of licences, no purpose is served by routing the applications through the sponsoring authorities. The Study Team recommends that applications from scheduled units be made direct to the licensing authority as in the case of SSI units.	Not accepted. In view of the large values involved, need for indigenous clearance and the need to indicate to the licensing authority the value of the machinery involved for which spares are to be licensed, it is necessary that the Textile Commissioner's office should continue to issue the Essentiality Certificates. Applications for import of ancillary equipments and small value machines should be submitted through the Textile Commissioner as recommended by the Study Team
32	IV 4.7	The present system of the headquarters office of the Textile Commissioner scrutinising applications for spares and the Regional Offices scrutinising those for ancillary equipment and components has serious disadvantages and attendant risks. This system be done away with.	Accepted.
33	IV 4.8	The advantage of accepting the above suggested recommendations would be—	
		(*a*) units will submit only one application for a basic allocation;	Suitable time table will be laid down within which the Textile Commissioner's office will issue the Essentiality Certificates.
		(*b*) delay due to processing of applications in the Textile Commissioner's office will altogether be eliminated (case studies revealed the Textile Commissioner took on an average 140 days to issue an essentiality certificate);	

1	2	3	4
		(*c*) individual units will be assured of getting a basic allocation during each-licensing year which would enable them to plan their programme of imports well in advance and also make other arrangements for meetings their supplementary requirements; and (*d*) the sponsoring authority, *viz.*, the Textile Commissioner would have adequate time to deal with applications for supplementary licences.	
34 & 35	IV 4.10 & 4.11	The above procedure may be extended to the following other sectors of the textile industry: (*i*) Woollen Industry; (*ii*) Artsilk Weaving Industry; (*iii*) Units engaged in the processing of wool and artsilk fabrics; (*iv*) Warn/Raschel/Lace knitting industry; (*v*) Independent Processors; (*vi*) Engraving units; (*vii*) Embroidery units; (*viii*) Readymade garment units; The procedure recommended above may also be adopted for import of dyes and chemicals for the industry, if and when there is any A.U. provision for import of dyes and chemicals.	Decision is the same as on Recommendation No. 31.
		IMPORT OF CAPITAL GOODS	
36	IV 4.19	In order to avoid the blockings of credit by licensees, the Textile Commissioner may issue, initially, only a 'Letter of Intent' to the applicant (where the essentiality of the item is established). The applicant should be asked to produce a letter from its banker assuring that payment formalities would be completed within the period of time stipulated in the 'letter of intent'. Only after an assurance is received in this regard should an essentiality certificate be issued. After this has been done, there should be a vigorous 'chasing' of the applicants for ensuring effective utilisation of credits.	There is no need to have both "Letter of intent" as well as Essentiality certificate. One of them may be dispensed with in consultation with the Ministry of Law. The procedures as followed by the C.G. Committee should be adopted to the extent feasible, having regard to the local conditions.

1	2	3	4
37	IV 4.20	In respect of imports from Rupee payment countries, where provisions are made under trade agreements, applications may be called for in advance once in a year and the mills asked to indicate in their applications their order of preferences for the sources of supply.	Accepted.
38	IV 4.23	The present delays in the scrutiny and disposal of applications for import of capital goods should be reduced to the minimum. Initial scrutiny and registration of applications should be made as and when they are received and acknowledgement-*cum*-deficiency letters should be issued within a period of seven days of the receipt of the applications. After the applications are properly classified and registered, it should be possible to decide on priorities soon after the last date fixed for the receipt of application. The 'Letter of Intent' should issue within 15 days of the terminal date for receipt of applications notified in the Press Note.	Accepted. A suitable Press Note will be issued by the Textile Commissioner indicating that units should complete the advertising formalities stipulated under the I.T.C. regulations for import of capital goods items of value exceeding Rs. 7·50 lakhs before making applications.
39	IV 4.23	Much of the present delays in the scrutiny of applications can be attributed to the lack of a proper system of classification and registration. A pro forma has been suggested to facilitate easy scrutiny and determination of *inter-se* priorities.	Accepted.
		COTTON TEXTILES (EXPORT CONTROL) ORDER	
40	V 5.4	The notifications issued under the Cotton Textile (Export Control) Order prescribing markings and those prescribing packing standards for cloth and yarn meant for export are superfluous as these are more or less covered by parallel provisions in the Textile Committee's Rules, Indian Trade & Merchandise Marks Act and the Central Excise Regulations.	Accepted.
41	V 5.3 & 5.4	The following provisions in the Export Control Order may be deleted: (*i*) power to fix prices and regulate sale to exports (Clause 3);	Accepted.

1	2	3	4
		(*ii*) diversion of export bales to the domestic market (Clause 3A); (*iii*) sale of price-stamped categories of cloth and yarn (Clause 4); and (*iv*) power to prescribe stampings and packing standards for cloth and yarn meant for export (Clause 5). A suitable provision enabling the Textile Commissioner to fix prices of cloth and yarn meant for export may be incorporated in the modified clause. With the deletion of the markings on cloth and yarn meant for export, diversion of any portion of such cloth and yarn to the domestic market will lie within the discretion of the producers. The diversion of such cloth and yarn will be, however, subject to the prohibitions and bans that apply to cloth marketted in India.	
		ORGANISATION OF THE TEXTILE COMMISSIONER	
44	VI 6.58	Headquarters A revised pattern of organisation for the Textile Commissioner's Office has been recommended. This revised pattern provides for four principal advisers to the Textile Commissioner, viz. Joint Textile Commissioner (Economics), Industrial Adviser, Cotton Adviser and Joint Textile Commissioner, (Personnel). In addition, there will be the Honorary Adviser (Handlooms). Placed above these principal advisers is the Additional Textile Commissioner.	Accepted. However, the actual deployment of Officers, staff and functions from time to time will be left to the judgement of the Textile Commissioner.
45, 46	VI 6.58	The post of Additional Textile Commissioner created when statutory controls on production and prices were introduced in 1964 may be perpetuated as, in a large organisation like the Textile Commissioner's, there should be a second in command who, when the occasion arises, can replace the head of the organisation. There ought to be a well designed personnel policy oriented to the needs of the organisation, as progressive aspects	Accepted.

1	2	3	4
		of personnel management would appear to have relegated to the background. There should be a Chief Personnel Officer of the rank of Joint Textile Commissioner.	
47	VI 6.58	It is important that the various economic activities in the organisation should be coordinated under a single officer to be designated as Joint Textile Commissioner (Economics). He should be a person of high calibre wh, has specialised in the economics of textile industry and management finance and should be in a position to provide effective leadership and guidance in the discharge of his duties and able to coordinate the economic activities of the organisation.	Accepted. The post of Joint Textile Commissioner (Economics) will be operated by keeping in abeyance the post of Director (Economics) or Director(Financial Survey).
48, 49, 50 & 51	VI 6.58	The functions of the Textile Commissioner have grown in complexity during the course of the last twenty years. It is not always possible nor is it reasonable to expect that the head of the organisation will be able to carry in his own mind all the strands of thinking and expertise that must be there for efficient policy making. It is necessary to have a 'thinking group' in the organisation which will continuously study problems, foresee difficulties and advise the Textile Commissioner for taking such action as may be necessary in advance. A Policy Committee is recommended for this purpose. The Committee may be presided over normally by the Textile Commissioner & in this absence by the Additional Textile Commissioner. The arrangement in this regard should be settled mutually between the Textile Commissioner and the Additional Textile Commissioner. The Policy Committee should have the Industrial Adviser, Adviser (Cotton), Joint Textile Commissioner (Economics) and Joint textile Commissioner (Personnel) as its permanent members.	
		Standing Secretariat assistance should be provided to the Committee for which a policy Section is recommended. The	Accepted.

1	2	3	4
		Section should be placed under the Joint Textile Commissioner (Economics) who should function as Convenor of the Policy Committee. Rules of Business should be framed for the functioning of the Committee and Standing items for consideration of the Committee should be drawn up.	
		Research should be conducted on a continuing basis in the economics Division on the problems of the textile industry. The division should make purposeful contribution to textile economics so that the Textile Commissioner can provide a lead to the industry, trade and the public in regard to textile matters.	
		There should be a personnel management section under the Joint Textile Commissioner (Personnel), which should concern itself with the following aspects: (*a*) management of cadres within the organisations; (*b*) progressive aspects of personnel administration, talent hunting, personnel planning and management training; (*c*) welfare activities including staff councils individual staff grievances; and (*d*) liaison with the Chief Personnel Officer in the Ministry.	
52	VI 6.58	Even after the abolition of the Branch Secretariat it is necessary that sanctions in the name of the President are issued by the Textile Commissioner who should continue to function as Ex-Officio Joint Secretary.	Under the recent amendment of the Authentication Rules, the Textile Commissioner, as Head of Department, is already authorised to sign sanctions etc. in the name of the President. As regards the need for conferring Ex-Officio status of Joint Secretary to the Textile Commissioner for discharging certain statutory functions, this may be examined in the light of further delegation of powers to the Textile Commissioner.
53, 54, 55 & 56	VI 6.58	There should be an O & M Section for making continual reviews of procedures of work followed in the organisation. The section should be manned by personnel who are trained for this type of work.	

1	2	3	4
		The Industrial Adviser should be enabled to concern himself more with problems of development and growth of the industry and less with administrative functions.	
		Director (Chemical Processing) should play a more positive role in assisting the textile industry as a whole for adoption of modern processing techniques.	Accepted.
		In view of the increasing importance of the study of management and financial assessments to be undertaken by the Financial Survey Division, the post of Inspecting Officer may be upgraded to Director.	
57	VI 6.58	Regional Offices The following items of work may here after cease to be done in the regional offices. (*a*) fixing quota for delivery of yarn by mills; (*b*) grant of installation permits for spindles and looms and fixing the reed space of looms; (*c*) permission for sale of ring frames; (*d*) permission for sale of disposal of powerlooms including side-frames; (*e*) issue of certificate regarding non-wearability of cloth; (*f*) processing of applications for import of ancillary equipments and accessories; (*g*) issue of Tex-marks; and (*h*) permission for diversion of cloth meant for export to the domestic market.	This will be reviewed in the light of the decision taken with regard to the procedure for scrutiny of applications for import of spares, components etc., as well as the additional functions developing on the Textile Commissioner subsequent to the submission of the Report
58	VI 6-58	There will be reduction in the volume of work in the Regional Offices in respect of the following:— (*a*) control on the quantum of sizing materials used in textile fabrics; and (*b*) permission for processing of outside cloth by mills.	Accepted.
59	VI 6.58	Considering the limited powers and functions which will devolve on the regional offices, the offices at Bombay and	The Regional Offices at Bombay, Ahmedabad and Coimbatore will be headed by Directors and the remaining offices by

1	2	3	4
		Ahmedabad only need be in charge of Directors. Others may be headed by Deputy Directors.	Officers of the Deputy Director's grade. However, the Heads of all the Regional offices will be designated as "Regional Directors", irrespective of their status or pay-scales.
60	VI 6.58	The Regional Office at Madras may be abolished.	Accepted. But the Textile Commissioner will have the freedom to locate some staff out of the revised strength proposed for the Regional Office, Coimbatore at Madras or any other, place if it is soperationally advantageous and economical to do so.
61	VI 6.58	It is important that technical officers should have adequate experience of work in mills. It should be possible for Government to second officers to co-operative mills and mills under "Authorised Controllers". The above proposal would involve the constitution of a regular technical cadre with different grades with provision for training and deputation. Pending formation of the cadre, a beginning may be made by seconding technical officers on short-term deputation to the above categories of mills.	Accepted in principle. Separate proposals may be drawn up for examination.
62	VI 6.58	One third of the posts of Directors should be in the selection grade of Rs. 1600 to Rs. 1800.	Not accepted. However, specific proposals for upgrading in deserving cases may be put up separately with full justification for considération in the normal manner.
63	VI 6.58	As it is necessary to bring in the best talent and experience in related subjects to the Secretariat, the sources from which posts are filled in the Secretariat should be enlarged. The Officers in the Textile Commissioner's Office should also be included in the field of selection to Secretariat posts.	Accepted in principle. Officers of and above the rank of Deputy Director may be considered for appointment in the Secretariat as Under Secretary or above. With regard to the posts of Section Officer and below, the field of selection cannot be enlarged according to the existing rules.
64	VI 6.58	Non-technical Gazetted posts in the Office of the Textile Commissioner may be included in the Indian Trade Service.	Accepted in principle.
65	VI 6.58	Early steps may be taken for inclusion of posts in the costing division in the Central Costing Pool.	Accepted in principle. This may be taken up with the Ministry concerned.
66	VI 6.58	Economic Investigators in the Textile Commissioner's Office should be included in the field	Accepted in principle. Proposals may be taken up with the Ministries concerned for inclusion

1	2	3	4
		of promotion to the Indian Economic and Indian Statistical Services.	of the posts of Investigators as a feeder channel for the Economic and Statistical Services.
67	VI 6.58	The categories of Technical Assistant and Deputy Superintendent may be abolished.	Posts of Deputy Superintendent may be abolished. As regards Technical Assistants, the posts falling vacant may not be filled up so that in due course, the posts may get automatically abolished. Posts of Tech. Investigators may be created only in lieu of posts of Tech. Assistants left unfilled or abolished keeping view the fact that against 13 posts of Tech. Assistants, 5 posts of Tech. Investigators have been recommended by the Study Team. The creation of posts of Technical Investigators must be effected in such a manner as to result in no additional cost.
68 & 69	VI 6.58	A suitable programme of training for personnel in the Cotton Division may be drawn up in consultation with the East India Cotton Association and the Cotton Development Committee. Members of staff should be enabled to work in different branches of the office. Periodic rotation of staff both gazetted and non-gazetted within the office may be effected for this purpose.	Accepted.
70	VI 6.58	Fixation of pay of 'B' Grade Clerks should be examined *de novo*.	Not accepted. This may be separately taken up by the Textile Commissioner.
71	VI 6.58	The scale of pay of Superintendents in the office should be revised from Rs. 350—475 to Rs. 350—575.	Not accepted. This may be taken up separately with adequate justification.
72	VI 6.58	The scale of pay of Reporters should be revised from Rs. 270—485 to Rs. 350—575.	Not accepted.
73	VI 6.58	With a view to attracting competent Stenographers, the Textile Commissioner should be enabled to offer advance increments to them.	Powers are vested in the Heads of Departments to grant advance increments at the time of initial recruitment and there is no objection to exercise the same in deserving cases.
74	VI 6.58	Considering that the market value of Stenographers in Bombay is high, the scale of pay of posts attached to officers of the rank of Deputy Textile Commissioner/Director may be	Not accepted as it will have general repercussions.

1	2	3	4
		revised to Rs. 210—530 to be on par with Grade II of the C.S.S.S. By the same token, the scale of pay of personnel assistants to the Textile Commissioner and Additional Textile Commissioner deserves to be revised to Rs. 350—650 to correspond to Grade I of the C.S.S.S. Appointment in selection grades may be by promotion of Senior Stenographers.	
75.	VI 6.58	There is need for a training programme for non-technical non-gazetted staff. As a first step, confirmation in the post of Upper Division Clerk should be subject to a candidate qualifying in a departmental test.	Need for training programme is accepted. Departmental test for confirmation in a promotion grade is not accepted as this would be discriminatory *vis-a-vis* similarly placed staff in other Central Government offices.
76.	VI 6.58	There should be a system of rewarding outstanding work with advance increments.	Not accepted.
77.	VI 6.58	An assessment of the requirements of staff taking into account the recommendations aimed at simplification of procedures suggested in the report, revealed the following posts as surplus to the requirements of the organisation.	
		Deputy Textile Commissioner . 1	
		Inspecting Officer . 1	
		Deputy Director . 4	
		Assistant Director . 5	
		Technical Assistant 13	
		Deputy Superintendent . . 10	
		Economic Assistants . . 2	
		Upper Division Clerk . . 47	
		Lower Division Clerk . . 68	Under consideration.
		There is need for addition of the following posts	
		Joint Textile Commissioner . . 1	
		Superintendent . 2	
		Technical Investigator . . 5	
		Assistant . . 23	

1	2	3	4
		Computor . . 3 The above recommendation should be taken as an integrated one.	
78.	VI 6.58	In order that the organisation is not deprived of the services of competent personnel, a Committee may be appointed to weed out the surplus staff. This Committee may take into account the performance of individuals and their relative merits in deciding on the persons to be identified as surplus.	Not accepted. The general principles laid down by the Home Ministry for declaring surpluses, will be followed.
	WORK RELATIONSHIP BETWEEN THE TEXTILE COMMISSIONER AND THE MINISTRY.		
79.	VII 7.4	Considered both from the point of view of development of the industry and of speedy implementation of business, it is necessary that the Textile Commissioner should be enabled to discharge the powers delegated to him freely on behalf of Government. The Ministry being primarily a policy making agency should not be burdened with routine references which rightly should be dealt with by the Textile Commissioner.	The principle is accepted.
82 to 90	VII 7.36, 7.39, 7.33, 7.13 and 7.21	A substantial part of the work now being handled in the seven sections of the Textile Wing of the Ministry of Commerce could be handled by the Textile Commissioner direct on his own. The relationship between the Ministry of Commerce and the Textile Commissioner has to be rationalised in order that the pace of disposal of cases is speeded up. Adoption of the single file system for handling a number of types of references would result in elimination of avoidable delays. An illustrative (but not exhaustive) list of cases where the single file system could be adopted with advantage is given below: (*a*) price policy of cotton; (*b*) import policy and allocation of foreign cotton;	The suggestion regarding adoption of the single-file system is not practicable because of physical distance and other difficulties and hence not accepted. The other recommendations deal mainly with delegation of additional powers to the Textile Commissioner and internal arrangements in the Ministry to deal with various references on a case-to-case basis. The Internal Work Study Unit of the Deptt. of Foreign Trade will examine the question of delegation of more powers to the Textile Commissioner.

1	2	3	4
		(c) constitution of committees, draft statements for the International Cotton Advisory Committee Meeting; (d) Industrial Licensing Policy for textiles; (e) import policy for textile machinery ; and (f) policy cases dealing with Statutory controls. The following types of references may, as hitherto, be dealt with through correspondence : (a) applications for industrial licence; (b) personal matters, namely appointments to posts, promotion, etc; (c) financial matters; (d) cases involving foreign collaborations; and (e) export promotion scheme. Complaints and references regarding implementation of policy received in the Ministry should be transferred to the Textile Commissioner, in original, for director disposal. Where the Textile Commissioner considers that a particular reply should go to the party from the Ministry, he may send a draft of the reply for issue over the signature of the Secretary or the Commerce Minister. Memoranda / representations from Associations etc. received in the Ministry should also be referred to the Textile Commissioner, who, if he considers the matter as sufficiently important or involves a question of policy, may make a separate reference to the Ministry which should be on the single file system. References from individuals, Associations/State Governments received in the Ministry or any question of policy etc. should be transferred to the Textile Commissioner for direct disposal. Where the Textile Commissioner by himself is unable to provide a clarification on the point of reference, he should make a reference to the Ministry on the single file sys-	

1	2	3	4
		tem. Where replies are to be issued over the signature of Minister/Secretary, necessary drafts should be prepared by the Textile Commissioner and the files referred to the Ministry.	
		References relating to the Textile Industry emanating from other Ministries/Planning Commission etc. seeking factual information or clarifications when received in the Ministry of Commerce, should be transferred to the Textile Commissioner for disposal. It may be left to the discretion of the Textile Commissioner to either furnish the information/clarifications direct or to obtain prior approval of the Commerce Minister/Secretary before sending the replies.	
		Applications for creation of capacity, not involving grant of industrial licences received in the Ministry should be transferred to the Textile Commissioner for direct disposal in accordance with the Policy. The Textile Commissioner may show the disposal to the Commerce Minister/Secretary at his discretion.	
		Applications for import of textile machinery or relaxation of existing import policy etc. when received in the Ministry, should be transferred to the Textile Commissioner for disposal. Where consultation with the Ministry of Industry or other Ministries is necessary, the Textile Commissioner should be enabled to consult these agencies direct on behalf of the Ministry of Commerce. The Textile Commissioner may decide the cases where he should have the prior orders of the Commerce Minister/Secretary before consulting other ministries/agencies.	
91	VII 7.29	Proposals emanating from Textile Export Promotion Councils dealing with textiles and other autonomous bodies should be routed through the Textile Commissioner exceptions being only in regard to their establishment and bud-	Accepted. It would not however be possible to prevent direct references to the Ministry in certain cases.

1	2	3	4
		getary matters where references may be made direct to the Ministry	
92	VII 7.31	While personnel problems (promotion, discipline and the like) may, as hitherto, be dealt with by the Textile Commissioner through correspondence with the appropriate sections in the Ministry, matters relating to creation of posts, relaxation of educational qualifications, reimbursement of medical claims and the like may be dealt with direct by the Textile Commissioner with the appropriate agencies, viz., the Ministries of Finance, Home Affairs, Health, such references being made on the single file system.	Accepted in cases within the field of delegation. Adoption of single file system in such cases is not practicable.
93	VII 7.37	The Study Team recommends the adoption of the single file system for handling a number of types of references. In respect of these, files in original may be sent by the Textile Commissioner to the Ministry and notings on them should commence at a level not lower than Joint Secretary. The orders passed by the appropriate authority in the Ministry should be sent back in original along with the file to the Textile Commissioner. Copies of the relevant notings may be retained in the Ministry.	Not accepted.
94 & 95	VII 7.38 7.39	Having regard to the norms suggested and to the illustrative examples given in the report it should be possible to decide on the types of cases to be dealt with on the single file system or through correspondence. In the Ministry of Commerce there should be a small cell of the Textile Commissioner's Office to keep a continuous watch on the movement of files between Delhi and Bombay. This cell will be responsible for keeping copies and records.	Does not arise in view of decision on recommendation No. 93.
97	VII 7.36	Immediately after action is taken to decentralise the work by delegating powers to the Textile Commissioner a quick assessment should be undertaken by the O & M units of the Ministry of Commerce of the	The suggestion that an assessment of the staff requirements of the Textile Division of the Ministry should be carried out after further powers are delegated to the Textile Commissioner, is accepted.

1	2	3	4
		minimum staff that would be necessary for handling the residual work. Perhaps it might be possible to get the residual work handled in two or three sections.	

DEVINDAR NATH, Joint Secy

विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्रालय

(विदेशी व्यापार विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1969

सं एफ० 9/1/68-ओ० एण्ड० एम०.—भारत सरकार ने, वस्त्र आयुक्त के कार्यालय के संगठन ढांचे कार्य-पद्धति तथा क्रियाविधि की, विशेषत: यह पता लगाने हेतु कि विलम्ब कहां होता है, कहां कहां अड़चने हैं और कहां प्रशासकीय असफलताएं संभावित हैं, जांच करने के लिये और भ्रष्टाचार की गुंजाइश के उन्मूलन हेतु सुधारोपायों का सुझाव देने के लिये 27 मई, 1965 को श्री के० के० शाह, संसद सदस्य, (इस समय स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास एवं नगरीय विकास के केन्द्रीय मंत्री) की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल नियुक्त किया।

2. अध्ययन दल ने अपने प्रतिवेदन का दूसरा खण्ड 2 मार्च, 1968 को प्रस्तुत किया। अध्ययन दल के अध्यक्ष श्री के० के० शाह को 13 मार्च, 1967 से केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में मंत्री नियुक्त कर दिया गया। इसके फलस्वरूप अध्ययन दल के प्रतिवेदन के खण्ड 2 पर उनके हस्ताक्षर नहीं हुए।

3. अध्ययन दल की सिफारिशों और उन पर भारत सरकार के विनिश्चय अनुबन्ध में दिये गये हैं।

4. सरकार अध्ययन दल द्वारा की गई बहुमूल्य सेवाओं की सराहना करती है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक एक प्रति सभी संबद्ध व्यक्तियों को भेज दी जाये। यह भी आदेश दिया जाता है कि सार्वजनिक जानकारी हेतु संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

वस्त्र आयुक्त के संगठन पर अध्ययन दल की रिपोर्ट के भाग 2 में निहित सिफारिशों पर सरकार के निर्णय।

निष्कर्षों तथा सिफारिशों के रिपोर्ट सारांश के अध्याय VIII में दिये गये के अनुसार सिफारिश संख्या	रिपोर्ट में अध्ययन दल की सिफारिश तथा पैरा संख्या	अध्ययन दल की सिफारिश	सरकार का निर्णय
1	2	3	4
		ऊनी उद्योग	
1	I —— 1.14	यह ध्यान रखते हुए कि वस्त्र आयुक्त एक तकनीकी अभिकरण है और जो कि ऊनी उद्योग के विकास के लिये जिम्मेदार है अतः क्षमता सृजन के निमित्त औद्योगिक लाइसेंसों के प्रत्येक आवेदन पत्र पर उसके साथ अवश्य परामर्श किया जाना चाहिये। यह भी आवश्यक है कि वस्त्र आयुक्त का एक प्रतिनिधि लाइसेंसिंग समिति में उपस्थित हो।	स्वीकृत।
2	I —— 1.15	यदि ऊनी उद्योग में अतिरिक्त क्षमता की अनुमति दी जानी है (चौथी योजना में ऊनी उद्योग का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है) तो तकनीकी विकास के महानिदेशालय के बारे में माथुर अध्ययन दल द्वारा जिस क्रिया विधि की सिफारिश की गई है और जिस सीमा तक वे सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है उसका अनुसरण किया जाये। उद्योग मंत्रालय के सी० एल० पी०	इस संशोधन के साथ स्वीकार कर ली गई कि वस्त्र आयुक्त के विचारों के साथ-साथ प्रशासनिक मंत्रालय के विचार भी लाइसेंसिंग समिति को उपलब्ध किये जायें।

1	2	3	4
		अनुभाग को चाहिए कि वह लाइसेंस के आवेदन-पत्र की एक प्रति सीधे वस्त्र आयुक्त को भेजे और लाइसेंसिंग समिति के लिए तैयार किये गये संक्षिप्त टिप्पण में वस्त्र आयुक्त के विचारों को भी समाविष्ट करे ।	
3	I 1·16	किसी प्रायोजना को लाइसेंस देने में आवश्यक रूप से उस की व्यवार्यता पर विचार किया जाना चाहिये, अतः क्षमता सृजन के निमित्त इस शर्त पर लाइसेंस देने से कोई लाभ नहीं है कि मशीनों का आयात करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जबकि यह मालूम है कि अपेक्षित मशीनें देश में नहीं बनतीं ।	लाइसेंसिंग समिति यह सिफारिश नोट कर लें ।
4	I 1·17	उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन जारी किये जाने वाले लाइसेंसों में सम्मिलित मामलों में संस्थापन परमिट जारी करना पूर्णतः अनावश्यक है और वे जारी नहीं किये जाने चाहिये ।	स्वीकृत ।
5 तथा 6	I 1.20	जब तक अतिरिक्त क्षमता के आबंटन पर, कोई प्रतिबंध नहीं है तब तक ऊनी वस्त्र नियंत्रण आदेश के अधीन मशीनों के संस्थापन की अनुमति केवल औपचारिक और मात्र सांख्यकी निर्धारण के प्रयोजन के लिए होनी चाहिए ।	स्वीकृत ।
		ऊनी उद्योग में गैर-अनुसूचित क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता की अनुमति देने की वर्तमान नीति की निरन्तर समीक्षा करने की आवश्यकता है बशर्ते कि कच्चे माल या मशीनों के आयात पर निर्भरता हो, चूंकि क्षमता का सृजन कर लेने बाद आयातित कच्चे माल के लिए शोर मचाने की प्रवृत्ति की संभावना हो सकती	स्वीकृत ।

1	2	3	4
		है । ऐसी इकाइयों की ओर घुलभं आयतित कच्चे माल का प्रवाह भी संभव है ।	
12	1 1.41	अध्ययन दल एक संशोधित योजना की सिफारिश करना चाहता है जिस से विकेन्द्रित क्षेत्रों में उत्पादन तथा वितरण दोनों के लिए स्वतः ही एक प्रणाली स्थापित हो जायेगी । जिस योजना की सिफारिश की गई है वह इस प्रकार है : जैसे ही मंत्रालय द्वारा उच्चतम सीमा को वस्त्र आयुक्त के अधिकार में कर दिया जायेगा वैसे ही वस्त्र आयुक्त शाडी तथा उद्योग के अन्य क्षेत्रों की आवश्यकता का अनुमान लगा कर उन के लिए अलग से एक भाग निर्धारित कर देगा । शेष मात्रा वर्स्टेड ऊनी क्षेत्र की आयात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होगी । समस्त उद्योग को, संस्थापित क्षमता के आधार पर, इस मात्रा का 10 प्र० श० आबंटित किया जा सकता है । इस बात पर ध्यान दिये बिना कि वर्स्टेड तकुओं ने अपने पहले आयतित कच्चे माल का उपभोग कर लिया है या नहीं केवल इन्हीं तकुओं को इसका आबंटन किया जाना चाहिए, ऊनी तकुओं को नहीं । रैंग पुलर्स को कच्चे माल का अलग से आबंटन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह आशा की जा सकती है कि कतिन टाप्स तैयार करने में इनकी सेवाओं का उपयोग करेंगे । शेष का आबंटन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि विभिन्न अर्थात् बुनाई, होजरी तथा हाथ-बुनाई क्षेत्रों की संशोधित योजना को इस संशोधन के साथ स्वीकार किया जाता है कि संस्थापित क्षमता के आधार पर उद्योग को आबंटन के लिए वास्तविक प्रतिशत और साथ ही विभिन्न क्षेत्रों को आबंटन का प्रतिशत सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जायेगा । रैंग-पुलर्स को दी गई तकुओं की क्षमता के लिए आयतित माल के आबंटन से सम्बन्धित प्रश्न पर विचार किया जायेगा । यदि यह सम्भव नहीं हो तो रैंग-पुलर्स को समुचित अवधि के लिए एक नोटिस दिया जाए जिसके बाद उनकी कर्षण क्षमता के आधार पर किये जाने वाले आबंटन को बंद कर दिया जाए ।	

1	2	3	4
		आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धागे की समुचित पूर्ति सुनिश्चित हो सके । आबंटन की वर्तमान प्रणाली से विभिन्न क्षेत्रों को धागे की पूर्ति निम्नलिखित अनुपात में सुनिश्चित रहती है : बुनाई 55 प्र०श० होजरी 27" हाथ से फंदा बुनाई 18" उपरोक्त आबंटन के बदले, तीनों क्षेत्रों में धागे के आबंटन का अनुपात इस प्रकार होना चाहिए : बुनाई के लिए 60 प्र० श० होजरी के लिए 25 प्र० श० तथा हाथ की फंदा बुनाई के लिए 15 प्र० श० होजरी तथा हाथ बुनाई क्षेत्रों में धागे की पूर्ति में थोड़ी से कमी का सुझाव, इस लिए दिया गया है कि इस प्रकार के आबंटन के लिए उपयुक्तता और साफ करने लायक भारतीय ऊन की प्राप्यता बढ़ जायेगी ।	
		बुनाई के धागे के उत्पादन के लिए नियत आयातित माल की मात्रा को हथकरघों तथा विद्युत-चालित करघों में (संगठित तथा विकेन्द्रित दोनों क्षेत्रों में) निम्नलिखित ढंग से आबंटित किया जाये :	
		हथकरघे :	
I 1.42	हथकरघों को किये जा रहे आबंटन के वर्तमान स्तर को भविष्य में भी जारी रखा जाये । प्रत्येक उद्योग के निदेशक के लिए नियत की गई मात्रा के विषय में उसे सूचना दी जाये । आबंटन पत्र प्राप्त करने पर, उद्योगों के निदेशक	राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयातों को केन्द्रित करने के कारण हुए परिवर्तनों के अधीन रहते हुए स्वीकृत ।	

1	2	3	4
		धागे में प्रयोग होने वाले कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए एक या अधिक कतिनों का नामन कर सकते हैं। इन नामित मिलों के नाम लाइसेंस दिये जायें। ये मिलें या तो उद्योगों के निदेशकों को या नामोद्दिष्ट हथकरघा इकाइयों को धागा सौंप सकती है।	
		विद्युत चालित करघे :	
I 1.42		बुनाई क्षेत्र के लिए प्राप्य शेष कच्चे माल का आबंटन, संगठित क्षेत्र और साथ ही विकेन्द्रित क्षेत्र के विद्युत चालित करघों को, संगठित क्षेत्र को दिये जा रहे वर्तमान महत्व के बिना ही प्रत्यक्षतः अनुपात के आधार पर किया जाये। विकेन्द्रित क्षेत्र की इकाइयों को अपने पसंद के एक कातन का नामन करना होगा जिसे इस स्पष्ट शर्त पर वास्तविक उपयोक्ता (ए० यू०) लाइसेंस दिया जाये कि कच्चे माल से उत्पादित धागा नामन करने वाली इकाई का होगा और इस लिए उत्पादन के तत्काल पश्चात् धागा उन को सौंप दिया जाना चाहिए।	राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयतों को केन्द्रित करने के कारण हुए परिवर्तनों के अधीन रहते हुए स्वीकृत।
		होजरी :	
I 1.42		होजरी क्षेत्र के लिए उपलब्ध की जाने वाली आयतित माल की मात्रा निश्चित हो जाने के बाद, पृथक-पृथक इकाइयों की पात्रता का आकलन संस्थापित क्षमता के आधार पर किया जाना चाहिए। केवल उन्हीं इकाइयों को आबंटन किया जाये जिन्होंने किसी मूल अवधि में माल की खपत की हो, और यह मूल अवधि सभी इकाइयों के लिए समान होगी। जैसा कि वेन्कटेश्वरन समिति द्वारा सुझाव दिया गया है, मल खपत का ख्याल न करते हुए,	यथार्थ संस्थापित क्षमता का अनुमान लगाने में कठिनाइयों के विचार से स्वीकार नहीं की जाती क्योंकि होजरी मशीनों के संस्थापन पर कोई भी कानूनी नियंत्रण नहीं है। आबंटन की वर्तमान योजना जारी रहेगी। मूल अवधि की वर्तमान प्रणाली में कोई परि-

1	2	3	4
		समस्त उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक इकाई के लिए न्यूनतम आबंटन निश्चत कर दिया जाये । इसी प्रकार, न्यूनतम आबंटन की अधिकतम सीमा भी निश्चित की जा सकती है जिसे एक इकाई प्राप्त कर सकती है चाहे मूल अवधि में उसकी खपत कुछ भी हो । वेन्कटेश्वर नसमिति द्वारा सुझाये गये अन्य प्रतिमानों को भी ध्यान में रखा जाये ।	वर्तन नहीं किया जायेगा क्योंकि परिवर्तन से शायद ही कुछ लाभ हो और हो सकता है कि इस से एक ऐसी योजना, जो स्थिर हो चुकी ह, में अनावश्यक रूप से विघ्न पड़े ।
		हाथ की फंदा बुनाई के कोरे धागे को तैयार करने वाली इकाइयां :	
I 1.42		वे इंकाइयां, जो वंय धागा तैयार नहीं करती, आयातित माल के आबंटन की पात्र नहीं होनी चाहिये । फंदा बुनाई के धागे का उत्पादन करने के निमित्त होजरी श्रेत्र के लिये नियत किये गये कच्चे माल का आबंटन प्रथक प्रथक इकाइयों को निम्न-लिखित आधार पर किया जाये । (क) संस्थापित क्षमता । (ख) मूल खपत । अधिकतम तथा न्यूनतम कोटे भी निश्चित किये जा सकते हैं । बुनाई के धागे को तैयार करने वाली इंकाइयां भी कतिनों का नामन कर सकती हैं ।	उन्हीं कठिनाइयों के विचार से, जो होजरी क्षेत्र के मामले में हैं, स्वीकार नहीं की जाती । आबंटन की वर्तमान प्रणाली जारी रहेगी । चूंकि इस क्षेत्र में इस प्रकार का धागा तैयार करने वालों के पास केवल यही काम नहीं होता और विशाल पूंजी निवेश नहीं होता अतः अधिकतम तथा न्यूनतम कोटे का अव-स्थान आवश्यक नहीं समझा जाता ।
I 1.42		वस्त्र आयुक्त, प्रत्येक कतिन इकाई के पक्ष में (अर्थात हथकरघों, विद्युत-चालित करघों, होजरी तथा बुनाई का धागा तैयार करने वाली इंकाइयों के लिए उद्योगों के निदेशकों से) प्राप्त विभिन्न नामनों को समेकित कर सकता है और कुल मात्रा के लिये वास्तविक उपयोक्ता (ए० यू०) लाइसेंस जारी कर सकता है ।	राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयातों को केन्द्रित करने के कारण हुए परिवर्तनों के अधीन रहते हुए स्वीकृत ।

1	2	3	4
		वस्त्र आयुक्त प्रति तकुआ अधिकतम आबंटन भी निर्धारित कर सकता है जिसे एक कतिन इस बात को सुनिश्चित करने के विचार से प्राप्त कर सकता है कि प्रत्येक कत्तिन को कच्चे माल से धागा बनाने के काम का उचित भाग मिलता है।	स्वीकृत।
		होजरी तथा बुनाई का धागा तैयार करने वाली इकाइयों को आबंटन करने के सम्बन्ध में यदि सम्बद्ध राज्य प्रशासन पृथक पृथक इकाइयों को आबंटन करने का तथा कतिनों को नामित करने का कार्य अपने हाथ में लेने को तैयार हो तो उन्हें तदनुसार कार्य सौपने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।	राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयातों को केन्द्रित करने के कारण हुए परिवर्तनों के अधीन रहते हुए स्वीकृत।
		ऊनी वस्त्र (उत्पादन तथा वितरण नियंत्रण)	
तथा 15	I ——— 1.52	आदेश के अधीन बुनाई, होजरी तथा हाथ बुनाई के धागे और होजरी के माल (सभी आयातित माल से बनाया गया) के मूल्यों पर न तो नियंत्रण लागू किया गया है और न ही वास्तविक उपभोक्ता को लाभ हुआ है। अतः इस योजना का त्याग कर देना चाहिये।	
		इसके साथ साथ उपभोक्ता को उत्पादकों की अनुकम्पा पर नहीं छोड़ देना चाहिये। सरकार को चाहिये कि वह उचित मूल्यों पर वितरण करने के लिये संगठित मिल तथा विकेन्द्रित दोनों क्षेत्रों में बने वस्त्रों तथा होजरी माल के उत्पादन का पर्याप्त प्रतिशत भाग प्राप्त करने के अधिकार को सुरक्षित रखे। इसके अतिरिक्त सहकारी भण्डारों के माध्यम से वितरित कराने के लिये मिलों तथा हाथ से तैयार	स्वीकृत।

1	2	3	4
		किये गये बुनाई के धागे समस्त उत्पादन के को भी प्राप्त करने में सरकार को संकोच नहीं करना चाहिये। सहकारी भण्डारों ऊनी वस्त्रों बुनी हुई वस्तुओं तथा धागे की उचित मूल्यों पर विद्यमानता तथा प्राप्यता मूल्यों को असाधारण स्तर तक बढ़ाने की निजी व्यापार की प्रवृति को रोकेगी।	
	I ——— 1.52	सहकारी भण्डारों की शृंखला के माध्यम से वितरित होने के निमित्त वस्त्रों, धागे आदि की प्राप्ति के लिये उपयुक्त अभिकरणों द्वारा वस्त्र आयुक्त की सहायता प्राप्त की जा सकती है।	स्वीकृत।
		कृत्रिम रेशम उद्योग	
17	II ——— 2.10	मानव निर्मित तन्तु उद्योग के समुचित विकास के लिये समन्वित आयोजनों तथा विकास की आवश्यकता के बारे में तकनीकी विकास निदेशालय द्वारा दी गई सलाह को ध्यान में रखते हुए अध्ययन दल यह सुझाव नहीं देता कि मानव-निर्मित तन्तु उद्योग से संबंधित कार्य का वस्त्र आयुक्त को हस्तांतरण किया जाये। परन्तु अध्ययन दल यह सिफारिश करता है कि मानव निर्मित तन्तु उद्योग के लाइसेंसिंग तथा विकास में वस्त्र आयुक्त का अधिकाधिक सहयोग होना चाहिये। मानव निर्मित उद्योग के विकास के सभी पहलुओं पर वस्त्र आयुक्त तथा तकनीकी विकास निदेशालय के बीच परामर्श एक मान्य कार्य प्रणाली होनी चाहिये।	स्वीकृत। मानवनिर्मित तन्तुओं का निर्माण करने के लिये इकाइयां स्थापित करने के निमित्त औद्योगिक लाइसेंसों के आवेदन पत्रों के संबंध में वस्त्र आयुक्त से परामर्श किया जाना चाहिये। वस्त्र आयुक्त अथवा उसका नामित्त व्यक्ति उस लाइसेंसिंग समिति में भी बैठना चाहिये जो आवेदन पत्रों पर विचार करती है। वस्त्र आयुक्त से लक्ष्य तथा क्षमता निश्चित करने, निर्मित होने वाले तन्तुओं को चुनने, मूल्य के स्वरूप तथा उन सभी अन्य मामलों पर, जिन का मानव निर्मित वस्त्र

(1)	(2)	(3)	(4)
			उद्योग के समग्र विकास से संबंध हो, परामर्श किया जाना चाहिये।
18, 19	II	यदि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिये कपड़े की पर्याप्त पूर्ति सुनिश्चित करनी है तो उस के लिए विभिन्न वस्त्रों के निर्माण में समग्र समन्वयन करने की आवश्यकता है। अतः अध्ययन दल सिफारिश करता है कि सेल्यूलोज रेशे से इतर कपड़ा उद्योग के लाइसेंसिंग तथा विकास से संबंधित कार्य को वाणिज्य मंत्रालय को वापिस दे देना चाहिये।	और अधिक घनिष्ठ समन्वयन की आवश्यकता स्वीकार की जाती है। संश्लेषित उद्योग के विकास के प्रत्येक चरण में नीतियों बनाने में विदेशी व्यापार विभाग तथा वस्त्र आयुक्त का और अधिक सहयोग होना चाहिये। इस समय उद्योग विकास तथा विनियम अधिनियम के अधीन स्थापित मानव निर्मित वस्त्रों की विकास परिषद् के माध्यम से कुछ परामर्श तथा विचार विनिमय होता है। निकटतर समन्वयन करने के निमित्त मानव निर्मित तन्तु समिति विदेशी व्यापार विभाग द्वारा स्थापित की जायेगी जिसके सदस्य विदेशी व्यापार विभाग, रसायन विभाग, वस्त्र आयुक्त तथा तकनीकी विकास के निदेशालय से लिये जायेंगे। समिति को तीन महीने में एक बार अथवा अधिक बार बैठक बुलानी चाहिये तथा उद्योग के विकास से सम्बद्ध समस्त विभागों के बीच पूर्ण परामर्श के लिये एक
	2.10	मानव निर्मित तन्तु उद्योग के लाइसेंसिंग तथा विकास में, पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय एक अत्यन्त उपयोगी योगदान जारी रख सकता है। मानव-निर्मित तन्तु बनाने वाली इकाइयों को लाइसेंस देने के आवेदन पत्रों पर विचार करने में तथा उद्योग को कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धि में भी इसे सक्रिय सहयोग देना चाहिये।	

(1)	(2)	(3)	(4)
			स्थायी निकाय के रूप में कार्य करना चाहिये। संश्लेषित तन्तु उद्योग को लाइसेंस देने तथा विकास से संबंधित कार्य को विदेशी व्यापार विभाग को लौटाने की सिफारिश पर, अलग से विचार किया जायेगा।
20	II 2.11	नकली रेशम (उत्पादन तथा वितरण) नियंत्रण आदेश के अंतर्गत मानव-निर्मित विभिन्न तन्तुओं को शामिल करने के लिये "नकली रेशम" की परिभाषा का विस्तार कर देना चाहिए और इस आदेश के नाम में समुचित संशोधित करके उसे मानव-निर्मित तन्तु तथा धागा (उत्पादन तथा वितरण) नियंत्रण आदेश कर दिया जाना चाहिए।	नकली रेशम (उत्पादन तथा वितरण) नियंत्रण आदेश के नाम में रसायन विभाग से परामर्श करके संशोधन किया जायेगा जो कि सभी प्रकार के नये तन्तुओं तथा वस्त्रों को शामिल करने के लिये "मानव-निर्मित तन्तु तथा धागा" से बेहतर पद का सुझाव देगा।
21	II 2.20	क्योंकि मिलों के लिये छपाई कोटे को निश्चित करने की प्रणाली समाप्त करने की सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है, अतः वस्त्र (हाथ बुनाई, कशीदाकारी, लेस तथा छपाई मशीनों द्वारा उत्पादन) नियंत्रण आदेश को भी समाप्त कर दिया जाना चाहिए। तथापि, चूंकि वस्त्र आयुक्त को छपाई का काम करने वाली स्वतंत्र इकाइयों के संबंध में जानकारी होनी चाहिए, अतः सांख्यिकी प्राक्कलन के लिये एक पंजीकरण प्रणाली शुरू की जा सकती है।	स्वीकृत।

(1)	(2)	(3)	(4)
22	II 2.21	सूती तथा सूती से इतर वस्त्रों पर छपाई करने में लगाई गई मशीनों के पंजीकरण के लिये क्रमशः सूती वस्त्र नियंत्रण आदेश और प्रस्तावित मानव-निर्मित तन्तु तथा धागा (उत्पादन तथा वितरण) नियंत्रण आदेश में उपयुक्त उपबंध रखे जायें।	स्वीकृत।
23	II 2.27	चूंकि तीव्र गति वाली वार्प बुनाई मशीनों पर संश्लेषित धागे की काफी अधिक खपत होती है अतः वार्प बुनाई, रशेल तथा लेस बनाने वाली मशीनों के संस्थापन को तब तक विनियमित करने की आवश्यकता है जब तक कि मांग को पूरा करने के लिये संश्लेषित धागे का स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त नहीं हो जाता।	स्वीकृत।
24	II 2.28	वस्त्र (हाथ बुनाई, कशीदाकारी, लेस बनाने वाली मशीनों द्वारा उत्पादन) नियंत्रण आदेश के अधीन विद्यमान मशीनों के पंजीकरण के लिये कोई समय सीमा निर्धारित करना वांछनीय है।	स्वीकृत।
25	II 2.28	वार्प बुनाई, रशेल तथा लेस बनाने वाली मशीनों के संस्थापन के निमित्त आवेदन-पत्रों के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का सत्यापन करने के लिये एक समीक्षा समिति की स्थापना की जाये। इस समिति के कार्य, लाईसेंसिंग समिति की समीक्षा समिति के अनुरूप होने चाहिए।	स्वीकृत। इस समिति की स्थापना वस्त्र आयुक्त द्वारा की जायेगी।
		विद्युत चालित करघों का निमरिए	
26	III 3.12 और 3.13	यद्यपि सरकार विद्युत् चालित करघों से संबंधित अध्ययन दल की रिपोर्ट के भाग 1 में की गई सिफारिशों पर इस आधार पर विनिश्चय करना आवश्यक नहीं समझती क्योंकि इन सिफारिशों के अंतर्गत आने वाले मामलों पर शक्ति चालित करघा	स्वीकृत।

1	2	3	4
		जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद निर्णय किये गये हैं, तथापि अध्ययन दल ने फिर कहा है कि विद्युत् चालित करघों की क्रमबद्ध वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिये वे उपाय, जो विनियमन की दृष्टि से आवश्यक समझे जायें और उनके कार्यान्वयन के ढंग को राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ दिया जाये। वस्त्र आयुक्त का कार्य, योजनाओं में निर्धारित संपूर्ण लक्ष्यों के अंदर उद्योग के समन्वित विकास के लिये निर्देशन तथा सामान्य सिद्धान्त स्थापित करने तक सीमित होना चाहिए। बिक्री, पट्टे, साझेदारी के समापन आदि के तरीके से शक्ति-चालित करघों के अंतरण और साथ ही शक्ति-चालित करघों के राज्य के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिये परमिट जारी करने के विषय में राज्य सरकारों को और आगे शक्तियां सौंपने सरकार की प्रस्थापनाएं उचित दिशा में हैं। शक्ति-चालित करघों के संस्थापन तथा नियंत्रण पर शेष विनियमन कार्य, जो अब वस्त्र आयुक्त कर रहा है, राज्य सरकारों को सौंप देना चाहिये।	
27 तथा 28	III 3.14	अध्ययन दल का विचार है कि उत्पादन के विविधीकरण के लिये संगठित एककों के विषय में की जाने वाली प्रत्येक उदारीकरण कार्यवाही विकेन्द्रित क्षेत्र के एककों के विषय में भी स्वतः की जायेगी।	स्वीकृत।
		विकेन्द्रित क्षेत्र के शक्ति चालित करघों को किसी भी प्रकार का धागा प्रयुक्त करने की अनुमति दिये जाने पर शक्ति चालित करघों के सूती/गैरसूती (जिनमें अधिकांश फिलेमेंट किस्म के धागे के हैं) के रूप में वर्तमान-वर्गीकरण में संशोधन अपेक्षित होगा।	स्वीकृत।

1	2	3	4
		फालतू पुर्जों का आयात	
31	IV 4.6	प्रायोजक प्राधिकारियों के माध्यम से आवेदनपत्र भेजना तभी उचित होगा जब मदवार जांच की जाये । चूंकि नये लाइसेंस देने का मुख्य मानदण्ड पहले के लाइसेंसों का उपयोग है अतः प्रायोजक प्राधिकारियों के माध्यम से आवेदन पत्र भेजने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । अध्ययन दल इस बात की सिफारिश करता है कि लघु पैमाने के एककों की भांति अनुसूचित एककों से भी आवेदन पत्र सीधे लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा लिये जाने की व्यवस्था होनी चाहिए ।	अस्वीकृत । चूंकि मामला विपुल राशियों का होता है, स्वदेशी की दृष्टि से निरापद होना आवश्यक है और लाइसेंस प्राधिकारी को उन मशीनों के मूल्यों का संकेत करने की आवश्यकता होती है, जिनके लिये फालतू पुर्जों के लाइसेंस दिये जाने हैं, अतः यह आवश्यक है कि वस्त्र आयुक्त के कार्यालय को आवश्यकता प्रमाणपत्र देते रहना चाहिए । अध्ययन दल की सिफारिश के अनुसार सहायक उपकरणों तथा कम मूल्य की मशीनों के आयात के लिये आवेदन-पत्र वस्त्र आयुक्त के माध्यम से दिये जाने चाहिए ।
32	IV 4.7	फालतू पुर्जों के आवेदनपत्रों की जांच वस्त्र आयुक्त के मुख्यालय के कार्यालय द्वारा करने और सहायक उपकरणों तथा संघटकों के आवेदनपत्रों की जांच क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा करने की विद्यमान पद्धति में गंभीर हानियां तथा उनके फलस्वरूप जोखिम भी है । यह पद्धति समाप्त की जानी चाहिए ।	स्वीकृत ।

1	2	3	4
33	IV ——— 4.8	उपरोक्त सिफारिशों को स्वीकार करने से निम्नलिखित लाभ होंगे :— (क) एकक मूल आबंटन के लिए केवल एक आवेदनपत्र देंगे ; (ख) वस्त्र आयुक्त के कार्यालय में आवेदनपत्रों की जांच में होने वाली देरी एकदम समाप्त हो जायेगी (मामलों के अध्ययन से पता चला है कि एक आवश्यकता प्रमाणपत्र देने में वस्त्र आयुक्त को औसतन 140 दिन लगते हैं) ; (ग) प्रत्येक एकक को हर लाइसेंस वर्ष में मूल आबंटन मिलना निश्चित रहेगा जिससे वे अपने आयात कार्यक्रम की योजना काफी पहले ही तैयार कर सकेंगे और अपनी अनुपूरक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अन्य व्यवस्थाएं भी कर लेंगे ; तथा (घ) प्रायोजक प्राधिकारी अर्थात वस्त्र आयुक्त को अनुपूरक लाइसेंसों के आवेदनपत्रों को निपटाने के लिये पर्याप्त समय मिल जायेगा ।	इस ऐसी प्रयुक्त समय तालिका निर्धारित की जायेगी जिसके अनुसार वस्त्र आयुक्त का कार्यालय आवश्यकता प्रमाणपत्र दे दिया करे ।
34 तथा 35	IV ——— 4.10 4.11	उपरोक्त क्रियाविधि वस्त्र उद्योग के निम्नलिखित अन्य क्षेत्रों पर भी लागू की जा सकती है :— 1. ऊनी उद्योग । 2. कृत्रिम रेशम बुनाई उद्योग । 3. ऊनी तथा कृत्रिम रेशम वस्त्रों को साधित करने में लगे हुए एकक । 4. वार्प/बुन/फीता बुनाई उद्योग ।	इस पर किया गया विनिश्चय वही है जो सिफारिश सं० 31 पर किया गया है।

(1)	(2)	(3)	(4)
		5. स्वतंत्र रूप से माल को साधित करने वाले एकक । 6. तक्ष्ण (एनग्रेविंग) एकक । 7. कशीदाकारी एकक । 8. सिले सिलाए वस्त्रों के एकक । यदि और जब, रंजकों तथा रसायनों के आयात के लिये कोई ए.यू. उपबंध हो तो उद्योग के लिये रंजकों तथा रसायनों के आयात के लिये भी उपरोक्त क्रियाविधि अपनायी जा सकती है ।	
		पूंजीगत माल का आयात	
36	IV 4.19	इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लाइसेंस-धारियों के पास ऋण न फंसे, वस्त्र आयुक्त शुरु में आवेदक को (मद की आवश्यकता प्रमाणित होने पर) केवल एक 'आशय पत्र' दे सकता है । आवेदक को अपने बैंकर से एक पत्र लेकर प्रस्तुत करने के लिये कहा जाना चाहिए जिसमें इस बात का विश्वास दिलाया गया हो कि भुगतान संबंधी औपचारिकता 'आशय पत्र' में विहित समयावधि में ही पूरी कर दी जायेंगी । इस संबंध में आश्वासन मिल जाने पर ही आवश्यकता प्रमाणपत्र दिया जाना चाहिए । इसके हो जाने पर, ऋण को कारगर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए जोर शोर से आवेदकों के पीछे पड़ना चाहिए ।	'आशय पत्र' और 'आवश्यकता पत्र' दोनों को लेने की आवश्यकता नहीं है । वित्त मंत्रालय के परामर्श से इन में से किसी एक को हटाया जा सकता है स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जहां तक व्यवहार्य हो सी. जी. समिति द्वारा अपनाई गई क्रियाविधि को अपनाया जाना चाहिए
37	IV 4.20	रुपये में भुगतान वाले देशों के संबंध में, जहां व्यापार करारों में व्यवस्था की गई है, वर्ष में एक बार अग्रिम आवेदनपत्र मांगे जा सकते हैं और मिलों से कहा जा सकता है कि वे पूर्ति के स्त्रोतों के विषय में अपनी पसंद का क्रमानुसार उल्लेख अपने आवेदन पत्रों में करें ।	स्वीकृत ।

1	2	3	4
38	IV 4.23	पूंजीगत माल के आयात के लिये आवेदनपत्रों की जांच तथा उन्हें निपटाने में होने वाला वर्तमान विलम्ब कम से कम कर दिया जाना चाहिये। आवेदनपत्रों की आरंभिक जांच तथा पंजीयन उनके प्राप्त होते ही हो जाना चाहिये और प्राप्ति स्वीकार सह-कमी दर्शाने वाले पत्र, आवेदनपत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह में ही भेज दिये जाने चाहिए । आवेदन पत्रों का भली भांति वर्गीकरण तथा पंजीयन होने के बाद, आवेदन पत्रों को लेने की अंतिम तारीख के उपरांत शीघ्र ही प्राथमिकताओं का विनिश्चिय कर सकना संभव होना चाहिए । प्रेस नोट में अधिसूचित आवेदनपत्र लेने की अंतिम तारीख के 15 दिन के अंदर 'आशय पत्र' दे दिया जाना चाहिये ।	स्वीकृत । वस्त्र आयुक्त द्वारा एक उपयुक्त प्रस नोट जारी किया जायेगा जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि आवेदन-पत्र देने से पूर्व एककों को 7.50 लाख रुपये से अधिक मूल्य के पूंजीगत माल की मदों के आयात के लिये आई. टी. सी. विनियमों के अंतर्गत विहित विज्ञापन औपचारिकताएं आदि पूरी कर लेनी चाहिए ।
39	IV 4.23	आवेदनपत्रों की जांच में होने वाले वर्तमान विलम्ब बहुत कुछ वर्गीकरण तथा पंजीयन की सम्यक् पद्धति के अभाव के फलस्वरूप है । सुविधापूर्ण जांच तथा पारस्परिक प्राथमिकता के निर्धारण को सुकर बनाने के लिये एक प्रपत्र का सुझाव दिया गया है ।	स्वीकृत ।
		सूती वस्त्र (निर्यात नियंत्रण) आदेश	
40	V 5.4	सूती वस्त्र (निर्यात नियंत्रण) आदेश के अधीन जारी की गई अधिसूचनाएं, जिनमें निर्यात हेतु वस्त्र तथा धागे के लिये चिह्न विहित किये गये हैं तथा जिनमें संवेष्टन मानक विहित किये गये हैं, निष्प्रयोजन हैं क्योंकि ये वस्त्र समिति की नियमावली, भारतीय व्यापार पण्य चिह्न अधिनियम तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विनियमों में रखे गये समतुल्य उपबंधों के अंतर्गत लगभग आ जाती है ।	स्वीकृत ।

1	2	3	4
41, 42 तथा 43	V 5.3 & 5.4	निर्यात नियंत्रण आदेश में से निम्नलिखित उपबंध हटा दिये जायें :— 1. मूल्य निर्धारण करने तथा निर्यात के लिये बिक्री का विनियमन करने की शक्ति (खंड 3); 2. निर्यात की जाने वाली गाठों का स्वदेशी बाजार म भेजा जाना (खंड 3क); 3. छपे हुए दामों वाली वस्त्र तथा धागे की किस्मों की बिक्री (खंड 4) ; और 4. निर्यात किये जाने वाले वस्त्र तथा धागे के लिये मुद्रांकन तथा संवेष्टन के मानक विहित करने की शक्ति (खंड 5) । वस्त्र आयक्त को निर्यात किये जाने वाले वस्त्र तथा धागे के मूल्य निर्धारित करने में समर्थ बनाने के लिये एक उपयुक्त उपबंध संशोधित खंड में रखा जाना चाहिए । निर्यात किये जाने वाले वस्त्र तथा धागे पर से चिह्नों को हटा देने से ऐसे वस्त्र तथा धागे के किसी अंश को स्वदेशी बाजारों में बेच देना उत्पादक की इच्छा पर निर्भर करेगा । फिर भी इस प्रकार बेचे जाने वाले वस्त्र तथा धागे पर भारत में बिकने वाले वस्त्र पर लागू निषेध तथा प्रतिबंध लागू होंगे ।	
		वस्त्र आयुक्त का संगठन	
44	VI 6.58	मुख्यालय वस्त्र आयुक्त के कार्यालय के लिए संशोधित संगठन के ढांचे की सिफारिश की गयी है । संशोधित ढांचे में वस्त्र आयुक्त के लिए 4 प्रधान सलाहकारों	स्वीकार कर ली गयी। परन्तु समय समय पर अधिकारियों, अमले तथा कार्यकलापों का वास्तविक

1	2	3	4
		अर्थात् संयुक्त वस्त्र आयुक्त (अर्थ) औद्योगिक सलाहकार, धागा सलाहकार तथा संयुक्त वस्त्र आयुक्त (कार्मिक) की व्यवस्था है । इस के अतिरिक्त अवैतनिक सलाहकार (हथकरघा) भी होगा । ये प्रधान सलाहकार अपर वस्त्र आयुक्त के अधीन होंगे ।	नियोजन वस्त्र आयुक्त की इच्छा पर निर्भर होगा ।
45,46	VI 6.58	वर्ष 1964 में उत्पादन तथा मूल्यों पर नियंत्रण लागू होने पर बनाये गये अपर वस्त्र आयुक्त के पद को स्थायी कर दिया जाये क्योंकि वस्त्र आयुक्त के संगठन जैसे विशाल संगठन में एक वैकल्पिक प्रशासक होना चाहिए ताकि मौका पडने पर वह संगठन के प्रमुख का स्थान ले सके। संगठन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के विषय में एक सुयोजित नीति होनी चाहिये क्योंकि कार्मिक प्रबन्ध के प्रगतिशील पहलू पृष्ठ भूमि में चले गये प्रतीत होंगे । संयुक्त वस्त्र आयुक्त के ओहदे का एक मुख्य कार्मिक अधिकारी होना चाहिए ।	स्वीकृत ।
47	VI 6.58	यह आवश्यक है कि संगठन के विभिन्न आर्थिक कार्यकलाप किसी एक अधिकारी के अधीन समन्वित होने चाहिए जिसे संयक्त वस्त्र आयक्त (अर्थ) का पदनाम दिया जाये । वह व्यक्ति उच्च योग्यता सम्पन्न होना चाहिए और वस्त्र उद्योग के अर्थतन्त्र तथा प्रबन्ध वित्त का विशेषज्ञ होना चाहिये जो अपना कार्य करते हुए कारगर रूप में नेतृत्व और पथप्रदर्शन करने की स्थिति में हो और संगठन के आर्थिक कार्यकलापों को समन्वित करने में सक्षम हो ।	स्वीकृत । संयुक्त वस्त्र आयुक्त (अर्थ) का पद निदेशक (अर्थ) अथवा निदेशक (वित्तीय सर्वेक्षण) के पद का आस्थगन करके शुरू किया जायेगा ।

1	2	3	4
48,49 तथा 50 तथा 51	VI 6.58	गत बीस वर्षों में वस्त्र आयुक्त के कार्यकलापों में जटिलता अधिक बढ़ी है । यह बात न तो सदा सम्भव ही है और न इस बात की आशा करना युक्तियुक्त प्रतीत होता है कि कोई भी संगठन प्रमुख अपने मस्तिष्क में कुशल नीति बनाने योग्य चिन्तन तथा विशेषज्ञता का सभी भार वहन करने में समर्थ होगा । संगठन में चिन्तकों के एक दल का होना आवश्यक है जो निरन्तर समस्याओं का अध्ययन करता रहेगा और कठिनाइयों का पूर्वानुमान करके वस्त्र आयुक्त को पहिले ही यथा-वश्यक उपाय करने की सलाह देगा । इसके लिए एक नीति समिति की सिफारिश की जाती है । सामान्यतः इस समिति के अध्यक्ष वस्त्र आयुक्त और उन की अनुपस्थिति में अपर वस्त्र आयुक्त होंगे । इस सम्बन्ध में सभी व्यवस्था वस्त्र आयुक्त और अपर वस्त्र आयुक्त के बीच परस्पर तय की जानी चाहिये । नीति समिति में स्थायी सदस्यों के रूप में औद्योगिक सलाहकार, सलाह-कार (धागा), संयुक्त वस्त्र आयुक्त (अर्थ) और संयक्त वस्त्र आयुक्त (कार्मिक) होने चाहिए ।	
		समिति के लिए एक स्थायी सचिवालय सहायता की व्यवस्था होनी चाहिए और इसके लिए एक नीति अनुभाग की सिफारिश की जाती है । इस अनुभाग को संयुक्त वस्त्र आयुक्त (अर्थ) के अधीन रखा जाये और वह नीति समिति के संयोजक के रूप में कार्य करेगा । समिति के कार्यचालन के लिए कार्य नियमावली तैयार की जानी चाहिये और समिति के विचारार्थ स्थायी मदों की रूपरेखा तैयार कर ली जानी चाहिये ।	स्वीकृत ।

1	2	3	4
		वस्त्र उद्योग की समस्याओं पर अर्थ प्रभाग में सतत आधार पर गवेषणा की जानी चाहिए वस्त्र के अर्थतन्त्र में प्रभाग का उद्देश्यपूर्ण योगदान होना चाहिए ताकि वस्त्र आयुक्त वस्त्र के मामलों में उद्योग व्यापार और जनता का पथप्रदर्शन कर सके । संयुक्त वस्त्र आयुक्त (कार्मिक) के अधीन एक कार्मिक सम्पर्क प्रबन्ध अनुभाग होना चाहिए जो निम्नलिखित विषयों को संभालेगा : (क) संगठन में काडरों का प्रबन्ध : (ख) कार्मिक प्रशासन के प्रगतिशील पहलू, योग्य व्यक्तियों को तलाशना, कार्मिक आयोजना तथा प्रबन्ध का प्रशिक्षण ; (ग) कल्याण कार्यकलाप जिनमें अमला परिषदें तथा प्रत्येक अमले की शिकायतें शामिल हैं; और (घ) मंत्रालय के प्रमुख कार्मिक अधिकारी के साथ सम्पर्क ।	
52	VI 6.58	शाखा सचिवालय के समाप्त हो जाने पर भी यह आवश्यक है कि राष्ट्रपति के नाम से मंजूरियां वस्त्र आयुक्त द्वारा जारी की जायें और उसे पदेन संयुक्त सचिव के रूप में कार्य करते रहना चाहिये ।	अधिप्रमाणन नियमों में हाल ही में हुए संशोधन के अधीन विभागाध्यक्ष के रूप में वस्त्र आयुक्त को राष्ट्रपति के नाम से जारी की जाने वाली मंजूरियों पर हस्ताक्षर करने के लिए पहले ही प्राधिकृत कर दिया गया है । जहां तक कतिय सांविधिक कार्यकलापों को निपटाने

1	2	3	4
			के लिए वस्त्र आयुक्त को पदेन संयुक्त सचिव का ओहदा प्रदान करने की आवश्यकता का सम्बन्ध है इस पर वस्त्र आयुक्त को प्रत्यायोजित की गयी और भी शक्तियों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा सकता है ।
53,54 तथा 56	VI 6.58	संगठन में अपनाई गयी कार्यवाही की क्रिया-विधि की सतत समीक्षा करने के लिए एक संगठन तथा पद्धति अनुभाग होना चाहिए । अनुभाग में ऐसे कार्मिक रखे जायें जो इस किस्म के काम के लिए प्रशिक्षित किए गए हों ।	
		औद्योगिक सलाहकार को उद्योग के विकास तथा विस्तार की समस्याओं की ओर अधिक ध्यान देने में समर्थ बनाना चाहिए और प्रशासनिक कार्य कलापों में उसे कम व्यस्त होना चाहिये ।	
		निदेशक (रसायन-साधन) को आधुनिक साधन-तकनीकों को अपनाने में सम्पूर्ण वस्त्र उद्योग की सहायता करने के लिए अधिक सक्रिय योगदान देना चाहिए ।	स्वीकृत ।
		वित्तीय सर्वेक्षण भाग द्वारा किये जाने वाले प्रबन्ध तथा वित्तीय आकलनों के अध्ययन के बढ़ते हुए महत्व को ध्यान में रखते हुए निरीक्षण अधिकारी के पद का ग्रेड बढ़ाकर निदेशक का कर दिया जाना चाहिए ।	

1	2	3	4
		क्षेत्रीय कार्यालय	
57	VI ——— 6·58	एतदोपरान्त क्षेत्रीय कार्यालयों में निम्नलिखित विषयों पर कार्यवाही नहीं की जायेगी :— (क) मिलों द्वारा धागे की डिलिवरी का कोटा निर्धारित करना ; (ख) तकुए तथा करघे लगाने के परमिट देना और करघों की रीड स्पेंस निर्धारित करना ; (ग) रिंग फ्रेमों की बिक्री की अनुमति; (घ) साइड फ्रेमों सहित शक्ति-चालित करघों की बिक्री अथवा निपटान की अनुमति; (ङ) कपड़े की अक्षयता के संबंध में प्रमाण-पत्र देना; (च) सहायक उपकरणों तथा सहसाधनों के आयात के लिए आवेदन पत्रों पर कार्यवाही; (छ) टैक्स मार्क देना; और (ज) निर्यात हेतु वस्त्र को स्वदेशी बाजारों में भेजने की अनुमति।	फालतू पुर्जों, संघटकों आदि के आयात के लिए आवेदन पत्रों की जांच की क्रियाविधि के संबंध में किये गये विनिश्चयों तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने पर वस्त्र आयोग को सौंपे गये अतिरिक्त कार्यकलापों के प्रकाश में इसकी समीक्षा की जायेगी।
58	VI ——— 6.58	क्षेत्रीय कार्यालयों में निम्नलिखित मामलों में कार्य के परिमाण में कमी की जायेगी :— (क) वस्त्रों में प्रयुक्त होने वाली मांडी सामग्री के परिमाण पर नियंत्रण, और (ख) मिलों द्वारा बाहर के वस्त्रों को साधित करने के लिए अनुमति।	स्वीकृत।
59	VI ——— 6.58	क्षेत्रीय कार्यालयों को सौंपे जाने वाली सीमित शक्तियों और कार्यकलापों को ध्यान में रखते हुए केवल बम्बई और अहमदाबाद के कार्यालयों को निदेशकों	बम्बई, अहमदाबाद और कोयम्बटूर के कार्यालय निदेशक के अधीन रहेंगें और शेष कार्यालय उप-

1	2	3	4
		के अधीन रखने की आवश्यकता है । अन्य कार्यालय उप-निदेशक के अधीन रखे जायें ।	निदेशक के ग्रेड के अधिकारियों के अधीन रहेंगे परन्तु समस्त क्षेत्रीय कार्यालय के प्रमुखों का पदनाम, उन के ओहदे तथा वेतनमान, का विचार किये बिना क्षेत्रीय निदेशक रहेगा ।
60	VI 6.58	मद्रास स्थित क्षेत्रीय कार्यालय समाप्त कर दिया जाये ।	स्वीकृत । परन्तु वस्त्र आयुक्त को क्षेत्रीय कार्यालय, कोयम्बटूर के लिए प्रस्तावित अमले की संशोधित संख्या को मद्रास अथवा अन्य किसी स्थान पर रखने की स्वतन्त्रता होगी, यदि ऐसा करना कार्यचालन की दृष्टि से लाभकर तथा कम खर्चीला हो ।
61	VI 6.58	यह आवश्यक है कि तकनीकी अधिकारियों को मिलों के कार्य का पर्याप्त अनुभव होना चाहिये। सरकार के लिए सहकारी मिलों और "प्राधिकृत नियंत्रक" के अधीन मिलों में इन अधिकारियों को नियुक्त करना सम्भव होना चाहिये । उपरोक्त प्रस्थापना के अनुसार भिन्न-भिन्न ग्रेडों वाले एक नियमित तकनीकी काडर का गठन करना होगा और उसमें प्रशिक्षण और प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था रहेगी । ऐसा काडर जब तक नहीं बनाया जाता तब तक के लिए उक्त कोटि की मिलों में लघु अवधि की प्रतिनियुक्ति पर तकनीकी अधिकारी नियुक्त करके शुरूआत की जाये ।	सिद्धान्तः स्वीकार कर ली गयी । इस पर विचार के लिए अलग प्रस्ताव तैयार किये जायेंगे ।

1	2	3	4
62	VI 6.58	निदेशकों के एक तिहाई पद रु० 1600 से 1800 तक के प्रवरण ग्रेड में होने चाहिए ।	स्वीकार नहीं की गई । किन्तु, योग्य व्यक्तियों के विषय में उच्च ग्रेड देने के विशिष्ट प्रस्ताव पर विचार करने के लिए पूर्ण औचित्य सहित सामान्य रूप में अलग-अलग प्रस्तुत किए जा सकते हैं ।
63	VI 6.58	चूंकि सचिवालय मे सम्बन्धित विषयों के अच्छे प्रतिभाशाली तथा अनुभवी व्यक्तियों को लाना आवश्यक है अतः जिन स्रोतों से सचिवालय में पद भरे जाते हैं, उन्हें विस्तृत किया जाना चाहिये । वस्त्र आयुक्त के कार्यालय के अधिकारियों को भी सचिवालय के पदों पर चयन के क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए ।	सिद्धान्त रूप में स्वीकृत । सचिवालय में अवर सचिव अथवा ऊंचे पद पर नियुक्ति के लिए उप-निदेशक के पद के तथा उससे ऊंचे पद के अधिकारियों के मामलों में विचार किया जाए । अनुभाग अधिकारी और उससे नीचे के पदों के सम्बन्ध में वर्तमान नियमों के अनुसार चयन क्षेत्र को विस्तृत नहीं किया जा सकता ।
64	VI 6.58	वस्त्र आयुक्त के कार्यालय में गैर-तकनीकी राजपत्रित पदों को भारतीय व्यापार सेवा में शामिल किया जाए ।	सिद्धान्त रूप में स्वीकृत ।
65	VI 6.58	लागत प्रभाग में पदों को केन्द्रीय लागत पूल में शामिल करने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाएं ।	सिद्धान्त रुप में स्वीकृत। इस पर सम्बद्ध मंत्रालय को लिखा जायेगा ।
66	VI 6 58	वस्त्र आयुक्त के कार्यालय के अर्थ-अन्वेषकों को भारतीय आर्थिक तथा भारतीय सांख्यिकी सेवाओं में पदोन्नति के क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए ।	सिद्धान्त रूप में स्वीकृत । अन्वेषकों के पदों को आर्थिक तथा सांख्यिकी सेवाओं के लिए पोषक

1	2	3	4
			चैनल के रूप में शामिल करने के सुझाव पर संबद्ध मंत्रालयों को लिखा जा सकता है ।
67	VI ——— 6.58	तकनीकी सहायक तथा उप-अधीक्षक की श्रेणियों को खत्म किया जाए ।	उप-अधीक्षक के पदों को समाप्त कर दिया जाए । जहां तक तकनीकी सहायकों का सम्बन्ध है रिक्त होने वाले पदों को भरा न जाए ताकि यथासमय ये पद स्वतः समाप्त हो जाएं । तकनीकी अन्वेषकों के पद केवल तकनीकी सहायकों के ऐसे पदों के स्थान पर बनाए जाएं, जो भरे नहीं गए अथवा यह ध्यान में रखते हुए समाप्त कर दिए गए कि तकनीकी सहायकों के 13 पदों के स्थान पर अध्ययन दल ने पांच तकनीकी अन्वेषकों के पदों की सिफारिश की है । तकनीकी अन्वेषकों के पदों को ऐसे ढंग से बनाया जाये जिससे कोई अतिरिक्त लागत न आये ।
68 तथा 69	VI ——— 6.58	कपास प्रभार के कर्मचारियों के लिये ईस्ट इंडिया कोटन एसोसिएशन तथा कपास विकास समिति के परामर्श से प्रशिक्षण का एक उपयुक्त कार्यक्रम तैयार किया जाये ।	स्वीकृत ।

1	2	3	4
		स्टाफ के सदस्यों को कार्यालय की विभिन्न शाखाओं में कार्य करने के योग्य बनाया जाना चाहिये। इस प्रयोजन के लिए कार्यालय के भीतर अमले के राजपत्रित तथा अराजपत्रित दोनों प्रकार के कर्मचारियों के लिये आवधिक अन्तरण प्रारम्भ किया जाये।	
70	VI 6 58	'बी' ग्रेड लिपिकों के वेतन निर्धारण पर पुन. विचार किया जाना चाहिये।	स्वीकार नहीं की गई। इस पर वस्त्र आयुक्त द्वारा अलग से विचार किया जाए।
71	VI 6 58	कार्यालयों में अधीक्षकों के वेतनमान को रू० 350-475 से संशोधित करके रू० 350-575 कर दिया जाना चाहिये।	स्वीकार नही की गई। उपयुक्त औचित्य के साथ यह प्रश्न उठाया जाये।
72	VI 6 58	प्रतिवेदकों के वेतनमान को रू० 270-485 से संशोधित करके 350-575 कर दिया जाना चाहिए।	स्वीकार नही की गई।
73	VI 6 58	योग्य आशुलिपिकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से वस्त्र आयुक्त को उन्हे अग्रिम वेतनवृद्धि देने का अधिकार दिया जाना चाहिये।	प्रारम्भिक नियुक्ति के समय अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान करने की शक्तियां विभागों के प्रमुखों को प्राप्त है और योग्य मामलों में इन शक्तियों के प्रयोग पर कोई आपत्ति नही है।
4	VI 6.58	यह विचार करते हुए कि बम्बई में आशुलिपिकों का बाजार मूल्य ऊंचा है; वस्त्र उपायुक्त। निदेशक के पद के अधिकारियों के साथ संलग्न पदों के वेतनमान को संशोधित करके रू० 210-530 किया जाये। ताकि वह केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना के ग्रेड दो के वेतन	स्वीकार नही की गई। चूंकि इसका व्यापक प्रभाव पडेगा।

1	2	3	4
		मान के समान हो जाए। इसी ढंग से वस्त्र आयुक्त तथा अतिरिक्त वस्त्र आयुक्त के कार्मिक सहायकों के वेतनमान को संशोधित करके रू० 350-650 करने की आवश्यकता है जिससे वह केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना के ग्रेड 1 के समरूप हो जायें। प्रमाण ग्रेड में नियुक्ति वरिष्ठ आशुलिपिकों को पदोन्नति देकर की जाए।	
75	VI 6.58	गैर-तकनीकी अराजपत्रित स्टाफ के लिये एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता है। प्रथम कार्यवाही के रूप में उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर किसी को तभी स्थायी बनाया जाये जब कि आवेदक विभागीय टैस्ट में पास हो जाए।	प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता स्वीकार कर ली गई है। पदोन्नति ग्रेड में स्थायी बनाने हेतु विभागीय टैस्ट की सिफारिश स्वीकार नहीं की जाती क्योंकि यह अन्य केन्द्रीय सरकारी सेवाओं में इसी प्रकार के नियुक्त स्टाफ के साथ भेदभाव होगा।
76	VI 6.58	उत्कृष्ट कार्य के लिये अग्रिम वेतनवृद्धि पुरस्कृत करने की योजना होनी चाहिये।	स्वीकार नहीं की गई।
77	VI 6.58	क्रियाविधियों के सरलीकरण के लिये प्रतिवेदन में सुझाई गई सिफारिशों को देखते हुए स्टाफ की आवश्यकताओं के आकलन से यह पता चला कि निम्नलिखित पद संगठन की आवश्यकताओं के अतिरिक्त फालतू हैं। वस्त्र-उपायुक्त 1 निरीक्षक अधिकारी 1 उप-निदेशक 4	

1	2	3	4
		सहायक निदेशक 5 तकनीकी सहायक 13 उप-अधिक्षक 10 अर्ध-सहायक 2 उच्च श्रेणी लिपिक 47 निम्न श्रेणी लिपिक 68	विचाराधीन
		निम्नलिखित पदों के बढ़ाये जाने की आवश्यकता है :- संयुक्त वस्त्र आयुक्त 1 अधीक्षक 2 तकनीकी अन्वेषक 5 सहायक 23 संगणक 3 उपर्युक्त सिफारिश को संशोधित रूप में माना जाना चाहिए।	
78	VI 6.58	इस उद्देश्य से कि संगठन योग्य कार्मिकों का सेवाओं से वंचित न हो जाये। फालतू स्टाफ की छंटनी के लिये एक समिति नियुक्त की जाए। यह समिति फालतू व्यक्तियों को छांटते समय उनके कार्य-निष्पादन तथा उनके सम्बद्ध गुणों को ध्यान में रखे।	स्वीकार नहीं की गई। गृह-मंत्रालय द्वारा फालतू घोषित करने के लिये निर्धारित सामान्य सिद्धान्तों को अपनाया जायेगा।
		वस्त्र आयुक्त तथा मंत्रालय के बीच कार्य संबंध	
79	VII 7.4	उद्योग के विकास तथा व्यवसाय के तेजी से क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि वस्त्र आयुक्त को सरकार की ओर से जो शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है उन्हें निर्बाध प्रयोग में लाने के लिए उसे समर्थ बनाया जाये। चूंकि मंत्रालय प्रमुखतः एक नीति बनाने वाला अधिकरण है अतः उस पर प्रतिदिन की पूछताछों का भार नहीं डाला जाना चाहिए, उन्हें वस्त्र आयुक्त द्वारा निपटाया जाना चाहिये।	सिद्धान्त स्वीकृत।

1	2	3	4
82 से 90	VII 7.36 7.39 7.33 7.13 7.21	कार्य का मुख्य भाग जो इस समय वाणिज्य मंत्रालय के वस्त्र स्कंध के सात अनुभागों में किया जा रहा है उसे वस्त्र आयुक्त द्वारा अपने स्तर पर कर सकता है। वाणिज्य मंत्रालय तथा वस्त्र आयुक्त के बीच संबंध को युक्तियुक्त बनाया जाना चाहिये ताकि मामलों के निपटान की गति हो जाये। विभिन्न प्रकार के मामलों को निपटाने के लिये एक-फाइल योजना को अपनाने से परिहार्य विलम्ब को दूर किया जा सकेगा। ऐसे मामलों की दृष्टान्त स्वरूप सूची (जो व्यापक नहीं है) नीचे दी गई है जिसमें एक फाईल योजना को अपनाने से लाभ हो सकता है : (क) कपास की मूल्य नीति ; (ख) आयात नीति तथा विदेशी कपास का आबंटन ; (ग) समितियों का गठन, अन्तर राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की बैठक के लिये विवरणों के मसौदे ; (घ) वस्त्र के लिये औद्योगिक लाइ-सेंसिंग नीति ; (ङ) वस्त्र मशीनों के लिये आयात नीति ; तथा (च) कानूनी नियंत्रण से संबंधित नीति सम्बन्धी मामले। निम्नलिखित प्रकार के मामलों को यथापूर्व पत्राचार द्वारा निपटाया जाये। (क) औद्योगिक लाइसेंस के लिये आवेदन पत्र ; (ख) कार्मिक मामले अर्थात पदों पर नियुक्तियां पदोन्नति आदि ; (ग) वित्तीय मामले ;	दूरी तथा अन्य कठिनाइयों के कारण एक-फाइल योजना के अपनाने का सुझाव व्यवहार्य नहीं है अतः इसे स्वीकार नहीं किया जाता। अन्य सिफारिशें मुख्यतः वस्त्र आयुक्त को अतिरिक्त शक्तियों प्रत्योयोजन से और विभिन्नों संदर्भों को निपटाने के लिये मंत्रालय के आन्तरिक प्रबन्धों से सम्बन्धित है विदेशी व्यापार विभाग का आन्तरिक कार्य-अध्ययन यूनिट वस्त्र आयुक्त को और अधिक शक्तियों के प्रत्यायोजन के प्रश्न पर विचार करेंगा।

1	2	3	4
		(ब) ऐसे मामले जिनमें सहयोग सम्मिलित है ;	
		(ड) निर्यात सम्बन्धी योजना ?	
		नीति के क्रियान्वयन सम्बन्धी शिकायतों तथा मामलों को जो मंत्रालय में प्राप्त हो· सीधे निपटान करने हेतु मूल रूप में वस्त्र आयुक्त को भेज दिया जाना चाहिये । जहां वस्त्र आयुक्त यह समझे कि पक्ष को कोई विशेष उत्तर मंत्रालय से ही जा ना चाहिये तो वह उत्तर का एक मसौदा सचिव अथवा वाणिज्य मंत्री के हस्ताक्षर से जारी करने हेतु भेज सकता है ।	
		मंत्रालय मे संघों आदि से प्राप्त ज्ञापन । अभ्या- वेदनों को भी वस्त्र आयुक्त को भेज दिया जाना चाहिए जो यदि उस मामले को पर्याप्त रूप से आवश्यक विषय समझे अथवा उसमें नीति का प्रश्न निहित हो तो वे मंत्रालय को इस सम्बन्ध मे अलग से लिख सकते है जो एक-फाइल प्रणाली से होना चाहिए ।	
		मंत्रालय में व्यक्तियों, संघों / राज्य सरकारों से प्राप्त पत्रादि अथवा नीति आदि के किसी प्रश्न को सीधे निपटानें के लिए वस्त्र आयुक्त को भेज दिया जाना चाहिए । जहां वस्त्र आयुक्तपत्रादि के किसी विषय पल स्वयं स्पष्टीकरण देने में असमर्थ हो तो उन्हें एक फाइल प्रणाली द्वारा मत्रालय को लिखना चाहिए । जिन मामलों के उत्तर मंत्री/सचिव के हस्ताक्षर से भेजे जाने हों उनके लिए वस्त्र आयुक्त को आवश्यक मसौदे तैयार करके फाइल मंत्रालय को को भेजनी चाहिए ।	
		अन्य मंत्रालयों । योजना आयोग से प्रेषित वस्त्र उद्योग से सम्बन्धित पत्रादि,	

1	2	3	4
		जिनमें वास्तविक जानकारी अथवा स्पष्टीकरण मांगा गया हो, यदि वाणिज्य मंत्रालय को प्राप्त हों तो उन्हें निपटाने के लिए वस्त्र आयुक्त को भेज दिया जाना चाहिए। यह वस्त्र आयुक्त के विवेक पर छोड़ दिया जाए कि सीधे जानकारी / स्पष्टीकरण भेज दे अथवा उत्तर भेजने से पूर्व वाणिज्य मंत्री / सचिव का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करें।	
		मंत्रालय में प्राप्त हुए क्षमता के निर्माण सम्बन्धी आवेदन-पत्रों को, जिनमें औद्योगिक लाइसेंस देना शामिल नहीं है, इस नीति के अनुसार सीधे निपटान हेतु वस्त्र आयुक्त को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। वस्त्र आयुक्त निपटान की कार्यवाही, अपने विवेक पर, वाणिज्य मंत्री / सचिव को दिखा सकता है।	
		वस्त्र मशीनों के आयात के लिए अथवा विद्यमान आयात नीति आदि में छूट के लिए आवेदन-पत्र यदि मंत्रालय मे प्राप्त हों तो उन्हें निपटाने हेतु वस्त्र आयुक्त को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। जहां उद्योग मंत्रालय अथवा अन्य मंत्रालयों के साथ विचार-विमर्श आवश्यक हो, वहां वस्त्र आयुक्त को इन अभिकरणों के साथ वाणिज्य मंत्रालय की ओर से सीधे परामर्श करने में समर्थ बनाया जाना चाहिए। वस्त्र आयुक्त ऐसे मामलों पर निर्णय दे सकता है जहां अन्य मंत्रालयो / अभिकरणो के साथ परामर्श करने से पहले वाणिज्य मंत्री / सचिव के पूर्व आदेश प्राप्त करने चाहिए।	

1	2	3	4
91	VII 7.29	वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदों से वस्त्र के सम्बन्ध में तथा अन्य स्वायत्त निकायों से आने वाली प्रस्थापनाएं वस्त्र आयुक्त के पास होकर आनी चाहिए। केवल उनके प्रस्थापना तथा बजट सम्बन्धी मामलों के बारे में सीधे मंत्रालय को लिखा जा सकता है ।	स्वीकृत । किन्तु कतिपय मामलों में मंत्रालय के साथ सीधे पत्राचार को रोकना सम्भव न होगा ।
92	VII 7.31	यद्यपि कार्मिक सम्बन्धी समस्याओं को (पदोन्नति अनुशासन तथा उसी तरह की) अब तक की तरह वस्त्र आयुक्त द्वारा मंत्रालय के उपयुक्त अनुभागों के साथ पत्राचार द्वारा निपटाया जाये तथापि पदों के निर्माण, शैक्षिक योग्यताओं की छूट, चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति तथा उसी प्रकार से सम्बन्धित मामलों को वस्त्र आयुक्त द्वारा उपयुक्त अभिकरणों अर्थात् वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ एक-फाइल प्रणाली के आधार पर लिखा-पढ़ी द्वारा निपटाया जाए ।	प्रत्यायोजन के क्षेत्र के भीतर रहते हुए स्वीकृत/ एक-फाइल प्रणाली को ऐसे मामलों में अपनाना व्यवहार्य नहीं है।
93	VII 7.37	विभिन्न प्रकार के पत्रादि के निपटान के लिए अध्ययन दल एक-फाइल प्रणाली की सिफारिश करता है । इनके सम्बन्ध में फाइलों को मूल रूप मे वस्त्र आयुक्त द्वारा मंत्रालय को भेजा जाए और उन पर टिप्पणियां संयुक्त सचिव से ऊपर के स्तर से प्रारम्भ हो । मंत्रालय मे उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेशो को मूल रूप मे फाइल के साथ वस्त्र आयुक्त को वापिस भेज देना चाहिए । सम्बद्ध टिप्पणियो की प्रतियां मंत्रालय मे रखी जा सकती है ।	स्वीकार नहीं की गई ।
94 & 95	VII 7.38 7.39	रिपोर्ट मे सुझाए गए प्रतिमानो तथा दिए गए उदाहरणो को देखते हुए यह विनिश्चय करना सम्भव होना चाहिए कि किस प्रकार के मामलो को एक-फाइल प्रणाली के अनुसार अथवा पत्राचार द्वारा निपटाया जाना है।	सिफारिश सं० 93 पर दिए गए निर्णय को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

1	2	3	4
		दिल्ली तथा बम्बई के बीच फाइलों के आने जाने पर निरन्तर निगरानी रखने के उद्देश्य से वाणिज्य मंत्रालय में वस्त्र आयुक्त के कार्यालय का एक छोटा प्रकोष्ट होना चाहिए। यह प्रकोष्ठ प्रतियों तथा अभिलेखों के रखने के लिए उत्तरदायी होगा।	
97	VII 7.36	वस्त्र आयुक्त को शक्तियां सौंप कर कार्य को विकेन्द्रित करने के लिए कदम उठाने के शीघ्र बाद ही, वाणिज्य मंत्रालय के संगठन तथा पद्धति यूनिट द्वारा न्यूनतम स्टाफ का, जो कि शेष कार्य के निपटान के लिए आवश्यक होगा, शीघ्र आकलन किया जाना चाहिए।	यह सुझाव स्वीकृत है कि वाणिज्य मंत्रालय के वस्त्र प्रभाग की स्टाफ आवश्यकताओं का आकलन वस्त्र आयुक्त को और शक्तियों के सौंपे जाने के बाद किया जाना चाहिए।

देवेन्द्र नाथ, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1969